Haryana Vidhan Sabha

Debates

11th August, 1969

(Evening Sitting)

Vol. II No. 4

OFFICIAL REPORT

CONTENTS

Wednesday, the 13th August, 1969 (Evening Sitting)

	Page
Starred Questions and Answers	(4)1
Written Answers to Starred Questions laid on the Table of the House under Rule 45	(4)26
Call Attention Notices	(4)41
Motion under Rule 30	(4)43
Papers laid on the Table	(4)44
Supplementary Estimate 1969-70	(4)44
(i) Estimates of the expenditure charged on the revenues of the State	(4)44
(ii) Discussion and voting of the Demands for Supplementary Grants	(4)44

ERRATA

TO

HARYANA VIDHAN SABHA DEBATES, VOL. II, No. 4

DATED 13TH AUGUST, 1969 (EVENING SITTING)

शुद्ध	अशुध	पृष्ठ	लाइन
तिहाई हुए	निहाई । हुए	(4)15	13
को	की	(4)15	30
पैदा	पदा	(4)17	10
गर्ग	गग	(4)18	34
representation	representation	(4)26	18
Read '(c)' under the column 'Whether instruction issued for giving 1/3 cultivable land to Harijan'		(4)30	10
Pan-chayats	Pan-chaysts	(4)30	38—39
Panchayats	Panchaya	(4)31	7
affect	effect	(4)37	52

in	and	(4)38	35
cadre	cnfre	(4)41	2
Minister	Ministe	(4)41	33
पैसे	पसे	(4)46	27
तवज्जह	तवज्जुह	(4)47	18
सैन	सन	(4)50	पहली
बांपलें	बांपले	(4)54	17
डिपार्टमैंट	डिपार्टमट	(4)57	25
"	"	(4)57	29
"	"	(4)58	7
साबित	साबत	(4)60	25
"	ष	(4)60	26
डिवैल्पमैंट	डिवैलपमैंट	(4)61	25
Speaker :	Speaker	(4)63	3
"	"	(4)63	8
15,19,330	[15,19,830	(4)63	14

Speaker :	Speaker	(4)63	18
Omit the word 'year' word 'ending'	before the	(4)63	last but one

HARYANA VIDHAN SABHA

Wednesday, the 13th August, 1969

The Vidhan Sabha met in the Hall of Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Sector -1, Chandigarh, at 3.30 P.M. of the clock. Mr. Speaker (Brig. Ran Singh) in the Chair.

STARRED QUESTION AND ANSWERS

Mr. Speaker : Question hour please. We will deal with supplementaries first. Supplementaries to question No. *354.

श्री मंगल सैन : क्या वित्त मन्त्री महोदया यह बनाने का कष्ट करेंगी कि क्या ट्रेज़री आफिसर को लाटरी के डिकट बेचने या इशू करने के लिये कमीशन नहीं दिया जाता और अगर नहीं दिया जाता तो क्या उन को अलाउन्स दिया जाता है ?

वित्त मन्त्री : जीनंद और नारनौल के ट्रेज़री अफसरो को छोड़कर और सब जगह पचास रूपये महीने का अलाउन्स दिया जाता है।

चौधरी जय सिंह राठी : इस की क्या वजह है कि जींद और नारलौल में अलाउन्स नहीं दिया जाता और दूसरी सब जगहों पर दिया जाता है ?

मन्त्री : क्योंकि उन जगहों पर टिकटों की बहुत थोड़ी सेल होती है और वहां पर ऐजेन्टों ने भी काफी कम टिकट लिए हैं।

चौधरी जय सिंह राठी : यह जो अलाउन्स दिया जाता है क्या इसके लिये ट्रेज़री अफसरों के लिये कोई कोटा मुकर्रर किया हुआ है कि इतने लाख के टिकट बेचोगे तो अलाउन्स दिया जायेगा ?

मन्त्री : ऐसा कोई कोटा वगैरह मुकर्रर नहीं किया हुआ। यह तो तजुर्बे की बिना पर ऐस किया गया है।

चौधरी जय सिंह राठी : सीपकर साहब, मै तो मन्त्री महोदया से यह पूछना चाहता हूं कि कितना अमाडनट मुकर्रर किया हुआ है कि इतने हजार की सेल करोगे तो यह अलाउन्स दिया जायेगा ?

मन्त्री : अमाउन्ट कोई मुकर्रर नहीं किया हुआ। जींद और नारनौल में काम थोड़ा है इसलिये वहां अलाउन्स देने की आवश्यकता नहीं हैं।

चौधरी जय सिंह राठी : वह कौन सा क्राइटेरिया या पैमाना है जिसके आधार पर थोड़े या ज़्यादा का जजमैन्ट किया जाता है ?

Minister : Sir, many things depend on the good judgement of the Government.

चौधरी जय सिंह राठी : क्या फाइनेन्स मिनिस्टर साहिबा ने ऐसा कोई जजमैंट रिकार्ड किया हुआ है कि इस डिसीज़न के मुताबि फलां ट्रेज़री आफिसर को यह अलाउन्स दिया गया ?

मन्त्री : ऐसा कोई जजमेंट रिकार्ड नहीं किया गया। हम तो फिगर्ज़ देख कर ही जज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट जीन्द और नारनौल के लिए कोई स्पैसेफिक डिसीज़न नहीं किया गया।

चौधरी जय सिंह राठी : मैं तो यह पूछना चाहता हूं कि थोड़े काम का क्या मतलब है और ज्यादा काम का क्या मतलब है ?

मन्त्री : नारनौल में पहले ड्रा में 29,300 टिकटें ऐजन्टों को बेची गयीं और जीन्द में 23000 हज़ार बेची गयी लेकिन दूसरी जगहों पर कही दो लाख की, कहीं चार लाख की और कहीं पर डेढ़ लाख की बेची गई इसलिए उन दो जगहों पर और जगहों के मुकाबले में बहुत कम सेल हुई।

चौधरी अब्दुल रज्ज़ाक खां : उन को जो अलाउन्स दिया जाता है क्या वह माहवारी दिया जाता है या कुछ सेल का हिसाब–किताब रखा हुआ है कि इतने से कम सेल हुई तो नहीं दिया जायेगा?

मन्त्री : हर महीनें मिलता है। सेल का भी हिसाब–किताब रखते है। कि इस महीने में कितनी सेल हुई है।

चौधरी अब्दुल रज्ज़ाक खां : क्या ट्रेज़री आफिसर काउन्टर पर बैठ कर दिक्ट बेचते है ?

मन्त्री : वे काउन्टर पर भी बैठते है। उनके पास कई एजेन्ट आते है उनको भी वे टिकट सप्लाई करते हैं।

श्रीमती चन्द्रावती : कल त्ति मन्त्री महोदया से मैंने पूछा था कि कुल कितना कमीशन आफिश्यिल्ज़ को और कितना नान–आफिशियल्ज़ को दिया गया ? परन्तु उन्होंने आज उत्तर देने का वायदा किया था। क्या वे अब मेरे प्रश्न का उत्तर देने का कष करेंगी ?

मन्त्री : स्पीकर साहब अब तक छः ड्रा हुए हैं। पहले ड्रा मं 4488 रूपये पर, दूसरे में 31426 रूपये पर तीसरें में 18712 रूपये पर, चौथे में 14044 रूपये पर पांचवे में 10950 रूपये पर और छठे में 8896 रूपये पर कमीशन नहीं दिया गया मगर बाकी जितनी टिकटें सेल हुई उन सब पर कमीशन दिया गया है।

श्रीमती चन्द्रावती : मैंने तो यह पूछा है कि डिस्ट्रिक्टवाइज़ आफिशियल्ज़ और नान–आफिशियल्ज़ को कितना कितना कमीशन दिया गया है ?

मन्त्री : स्पीकर साहब यह तो मैं बता दूंगी लेकिन घटाने–बढ़ाने में काफी टाईम लगेगा।

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब यह सवाल तो मैंने कल किया था। कल से आज तक यह हिसाब ही नहीं लगा सकी ?

Mr. Speaker : We postpone this question in respect of this part for tomorrow.

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा ने बताया कि जहां पर अधिक टिकटों की सेल होती है वहां पर पचास रूपये ट्रैज़री आफिसर को अलाउन्स दिया जाता है। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या अलाउन्स देने से पहले यह चैक किया जाता है कि महीनें में फलां ट्रेज़री आफिसर ने इतने टिकट सेल किये ?

मन्त्री : हर महीने चैक नहीं कर सकते।

श्री रूप लाल मेहता : क्या वित्त मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि क्या सरकार की ओर से ऐसा कोई आर्डर जारी हुआ है कि स्कूल के बच्चों को लाटरी टिकट लाज़मी तौर पर खरीदनी चड़ेगी ?

मन्त्री : सरकार की ओर से कोई ऐसा आर्डर जारी नहीं किया गया है।

श्री रूप लाल मेहता : अगर ऐसी शिकायत नोटिस में लायी जाये तो क्या वे ऐक्शन लेंगी ?

मन्त्री : अगर ऐसी शिकायत नोटिस में लायी जायेगी तो ज़रूर ऐक्शन लिया जायेगा।

चौधरी अब्दुल रज्ज़ाक खां : यह लाटरी की जो स्कीम चलाई गई है क्या इसे चलाने में सरकार ने दूसरे प्रांतों की नकल की है ?

मुख्य मन्त्री : बहुत से प्रांतों ने तो हमारी ही नकल की है।

श्री कटार सिंह छोकर : क्या वित्त मन्त्री महोदया यह बताने का कष्ट करेंगी कि जितने ड्रा अब तक हुए हैं उन से कुल नैट–इन्कम कितनी हुई है ? हमारा लास्ट ड्रा कब हुआ था और उसके बाद कुल कितनी सेल हुई है ?

वित्त मन्त्री : स्पीकर साहब यह बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि हमारा पहला ड्रा 30 नवम्बर, 1968 को हुआ और आखिरी ड्रा 8 अगस्त, 1969 को हुआ। लगभग नौ महीने के अन्दर नैट–इन्कम एक करोड़ और तीन लाख की हुई है। लास्ट

ड्र 8 अगस्त को हुआ और आज 13 तारीख है। इन पांच दिनों में भी 22 लाख की टिकटें बिकी है।

चौधरी लाल सिंह : जिन भाइयों की लाटरी नहीं निकलती, वह बड़े नाराज़ हैं, क्या इसका भी कोई इलाज हो सकता है ? (हंसी)

चौधरी चांद राम : यह कहा गया है कि गवर्नमेंट सवेंट!स पर पाबन्दी लगा दी गई है कि वह यह टिकटें न बेचें तो क्या चही पाबन्दी टीजर्ज़ पर और ग्राम सेवकों पर होगी ताकि वह भी स्टूडैंट!स पर और ग्राम वालों पर टिक्ट खरीदने के लिये दबाव न डाले ?

मन्त्री : यह टीचर्ज़ और ग्रामसेवकों के केस में रिलैक्सेशन इसलिये कि थी कि हमारे एजेंट्स वहां नहीं पहुंच सकते थे। यह टीचर्ज़ और विलेज लैवल वर्कर्ज़ कोई 100 के करीब होंगे। लेकिन अगर हाउस यह फील करता है कि यह एजेंसी विदड्रा कर ली जाए तो हम विदड्रा कर लेंगे।

चौधरी चांद राम : टीचरों को और ग्रामसेवरों को एजेंसी लेने के लिये शामिल किया गया। क्या क्लास 3 और क्लास 4 सरकारी मुलाज़िम भी इस में शामिल हो सकते हैं ?

मन्त्री : पंजाब और यू॰ पी॰ की जाटरी में तो क्लास 3 और कलास 4 सभी शामिल हैं। वे भी एजेंट हो सकते हैं। लेकिन

हमने अपने यहां केवल टीचर्ज़ को और विलेज लैवल वर्कर्ज़ को ही इजाज़त दी हैं।

Mr. Speaker : You see, the only thing, Finance Minister Sahiba, I can suggest is that you may consider about the teacher only because there the children are involved and that number which is reduced may be given to the Village Level Workers.

Minister : All right, Sir.

Chief Minister : In this respect we may do one thing. If the teachers take them, we may put a restriction on them that they will not sell these tickets to students. If they sell these outside, in the villages and towns then

श्री अध्यक्ष : यह मेरी सजैशन है

This only my suggestion. It is up to you to decide.

Finance Minister : Mr. Speaker, as you want , today instructions will be issued that they will be no more agents.

Mr. Speaker I have received the information which the hon. Member Shrimati Chandravati wanted. The total commission given in each draw is as follows : -

1st Draw	Rs. 367647
2nd Draw	Rs. 1005090
3rd Draw	Rs. 1007119

Shrimati Chandravati : I this district wise ?

Minister : No. This is for the whole State because the agents are not restricted to sell the tickets in particular districts. They can go in any district and sell the tickets. The information about the other draws is as follows : - 4th Draw Rs. 951347

5th Draw Rs. 743166

6th Draw Rs. 1275964

श्रीमती चन्द्रावती : अभी वित्त मंत्री साहिबा ने बतलाया है कि पांचवे ड्रा में लगभग साढ़े सात लाख कमीशन के दिए गए है। इसके बारे में क्या वह कृपा करके बतलाएंगी कि वह कितने एजेंट्स को मिले और उनमें कितने आफिशियल्ज है और कितने नानअफिशियल्ज़ है ?

मंत्री : यह बात इस क्वैश्चन से एराइज़ नही होती

Shrimati Chandravati : How does it not arise ? It arises from her answer, Sir.

Mr. Speaker : It is quite difficult to tell this on the spot, you will agree. But, we can get you the information.

Shrimati chandravati : She should gave come prepared to answer all possible supplementaries.

Minister : The number of agents is very large, so it will be difficult to tell.

Shrimati Chandravati : Certainly, you must know

Minister : We have agents in Madras, Maharashtra, Mysore and other States and it will be difficult to get this information.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब अगर मेरी बहिन जी की इस जवाब से सतुष्टि नहीं है तो इनकी सीटें चेंज करा देनी चाहियें ताकि उन्हे सन्तुष्टि हो जाए।

श्री दया कृष्ण : जो कमीशन फ्री टिकट आफिशियल्ज़ ने बेचे उनकी संख्या कम है, वनिस्बत प्राइवेट एजेंटों की टिकट की सेल्ज़ से, इस की क्या वजह है ?

मन्त्री : यह बात मेरी समझ में नहीं आई। अगर कोई खास बात है और वह मेरे नोटिस में लाई जाए तो मैं गौर करूंगी।

We shall have more strict control and if we find out that slaes are being credited to agetns who are Government servants, they will certainly be dealt with.

Mr. Speaker : I think his question was different. What he wanted to know, perhaps, is this. If you check up the figures. you will find, that the number of tickets sold through the officials has come down quite a lot every year. Why should that happen ?

Minister : It is because we are not, in any way, insisting on them to sell the tickets. Rather, warning has been issued to one or two officials.

श्री दया कृष्ण : जो यह ट्रेज़री आफिसर्ज़ है क्या ये कमीशन एजेंट नहीं हैं ?

मन्त्री : नहीं, वे ऐस `एजेंट नहीं जैसे कि प्राइवेट एजेंसीज़ हैं, उनको इसलिये इजाज़त दी गई है कि कोई न कोई ट्रेज़री में आता ही रहता है, तो वह उन से खरीद सकता है।

Mr. Speaker : As you heard, the Finance Minister has taken action and, I think, we should leave it here. (Interruptions)

Yesterday, we were only able to dispose of 3 questions and the loss is of the Members only. Let us not waste more time on it. We have already spent 45 minutes on this question.

Chaudhry Chand Ram : If you like, you can limit the supplementaries on a question to five or six. But, then, this should apply in every case. (Interruptions)

Mr. Speaker : It is Members loss. We could dispose of only 3 question yesterday. There is no point in asking a question for question sake. In this way, we would not be able to dispose of more than two or three questions.

चौधरी रणधीर सिंह : क्या फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा यह बतलाने का कष्ट करेंगी कि जो डिप्टी कमिश्नर के द्वारा ट्रैक्टर्ज़ बेचे गए उन ट्रैक्टर्ज़ के परचेज़र्ज़ को भी टिकट लैन के लिये बाध्य किया गया ?

मन्त्री : मेरे नोटिस में यह बात नहीं है। इतने क्रिटिसिज़्म की मैं समझती हूं जरूरत नहीं हैं क्योंकि अगर बिना बोझ डालें लेागों पर, हमारे पास 2 करोड़ के करीब इन्कम आई है तो इसको वैल्कम किया जाना चाहिये।

Mr. Speaker : No more supplementaries. We move to the next question now.

The other question on which the supplementaries were postponed was *349 by Shri Fateh Chand Vij regarding grant of old age pension. Shrimati Chanravati wanted to put a supplementary.

Mr. Minister : She is not here.

Shri Mangal Sein : Supplementary, Sir.

Mr. Speaker Sein : She may not be here. I want to put a supplementary.

Shri Mangal Sein : She may not be here. I want to put a supplementary.

Mr. Speaker : This question was postponed because of two definite question, one by Shrimati Chandravati and the other by Chaudhri Chand Ram. Both of them are not here. And, since no one appears to remember what those question were, we go over to the next question.

Cadre Strength Of All-India Services In Haryana

State

***338. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the cadre wise authorised and present strength of I.C.S, I.A.S, and I,P.S. officers on roll of the State of Haryana as on the 1st November, 1966 and the 1st April 1969, separately ;

(b) whether any of the officers out of the cadres mentioned in part (a) above were on foreign service outside the State on 1st November, 1966 and the 1st April, 1969, if so their ;

(c) whether any percentage has been fixed for promotion from amongst the Haryana Civil Service cadre to the All-India Civil Service cadre ; if so, the details thereof;

(d) whether the authorised strength of the officers of All India Service for the State of Haryana is determined by the State Government or it is fixed by the Central Government of its own accord or in consultation with the State Government ; and

(e) whether the Government have initiated any over or have proposal to reduce the number of officers other All India Service with a view to scale down heavy expenditure on the establishment ?

श्री बंसी लाल : अपेक्षित सूचना का विवरण–पत्र सदन के सामने प्रस्तुत किया जाता है।

विवरण

(क) (1) दिंनाक 1 नवम्बर, 1966 को संवर्ग संख्या –

	अधिकृत	वास्तविक
आई.सी.एस./आई.ए.एस.	97	73
आई.पी.एस	39	34

(2) दिंनाक 1 अप्रैल, 1969 को संवर्ग संख्या –

आई.सी.एस./आई.ए.एस.	97	90
आई.पी.एस	39	39

(ख) बाह्य सेवा पर तो कोई अधिकारी न था परन्तु कुछेक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर थे। वास्तव में अखिल भारत सेवाओं के अधिकरियों को, संवर्ग में उपबंधित केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कोटे में प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाता है। हरियाणा के आई.ए.एस संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के कोटे के लिये 19 अधिकारियों का उपबन्ध है। इस उपबन्धित संख्या के प्रति दिनांक 1 नवम्बर, 1966 को 18 और 1 अप्रैल, 1969 को 22 अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे।

हरियाणा के आई.पी.एस संवर्ग में केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति के लिये 8 अधिकारियों की संख्या नियत की हुई है। इस उपबन्धित संख्या के प्रति दिनांक 1 नवम्बर, 1966 को 14 और

दिनांक 1 अप्रैल 1969 को 17 आई.पी.एस अधिकारी भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर थे।

(ग) जी हां, आई. ए. एस./आई.पी.एस. (भर्ती) नियमावली, 1954 के नियम 9 के अधीन हरियाणा के आई.ए. एस/आई.पी.एस. संवर्ग में प्रवर पदों की संख्या के 25 प्रतिशत पद तक क्रमशः राज्य सिविल सेवा/गैर–राज्य सिविल सेवा अधिकारी और राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों में से पदोन्नति /चयन द्वारा भरे जा सकते है।

हरियाणा में आई.ए.एस संवर्ग में प्रवर पदों की संख्या 66 है और पदोन्नति कोटा (25प्रतिशत) 16 है। इन 16 पदों मे से 14 पद राज्य सिविल सेवा अधिकारियों तथा 2 पद अन्य सेवाओं के अधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरने होते है। पदोन्नति कोटा के सभी पद इस प्रकार भरे गये हैं।

आई.पी.एस. संवर्ग में प्रवर पदो की संख्या 27 है और पदोन्नति कोटा (25 प्रतिशत) 6 है । ये सभी इसी प्रकार भरे गये हैं।

(घ) अखिल भारत सेवाओं की अधिकृत संवर्ग संख्या राज्य सरकार के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित की जाती है।

(ङ) नहीं । इस समय आई.ए.एस/आई.पी.एस. अधिकारियों की संख्या कम करने का प्रस्ताव नहीं क्योंकि ऐसा

वियार किया जाता है कि ऐसी कमी करने की कोई गुंजाइश नहीं है।

Mr. Speaker : Shrimati Chandravati.

Major Amir Singh Chaudhry : Sir, this may question and it is my right to put supplementary first.

Mr. Speaker : No I have called her.

श्रीमती चन्द्रावती : क्या मुख्य मन्त्री साहब बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट की पापुलेशन के हिसाब से यहां पर आई.ए. एस. और आई.पी.एस. आफिसर्ज़ का नम्बर ज़्यादा नहीं है ?

मुख्य मन्त्री : जी नहीं ।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : क्या मुख्य मन्त्री साहब बताएंगे कि जो आई.पी॰एस॰ ओर आई.ए.एस.की प्रमोशन में रिज़र्वेशन है वह वैकेंसीज़ पूरी हैं ?

मुख्य मन्त्री : जी हां पूरी है।

श्री कटार सिंह छोकर : क्या मुख्य मन्त्री साहब बताएंगे कि 1962–63 के बाद स्टेट का जो कोटा था वह पूरा क्यों नहीं हुआ ?

मुख्य मन्त्री : अब काडर की स्ट्रेंग्थ रिविज़न के लिये ड्यू है और यह दिसम्बर के आस–पास होगी।

Scheme for Harijan Welfare

***365. Chaudhry Chand Ram :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to State –

(a) the number applications received district wise, in the years 1968-69 and 1969-70, under different schemes for Harijans welfare; and

(b) the names schemes, district wise along with the amount earmarked in each cause ?

Chaudhry Ran Singh : (a) & (b) The requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a)

Name of the Scheme	Amabala	Karnal	Rohtak	Hissar	Jind	Mohinder-garh	Gurgaon
Number of application received during 1968-69							
Subsidy or purchase of land	24	10	8	30		20	
Stamp duty							
Subsidy house/well under land purchase scheme							
Subsidy for the purchase of pigs/poultry birds	57	59	26	38	18	11	60
Subsidy for houses for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	899	735	210	559	104	96	374
Drinking water wells	111	152	68	66	32	23	113
Community Centre	1						

Legal Assistance	43		4	15	4	5
House for sweepers and scavengers	58	68	23	76	40	35
House for Vimukat Jaties	30	104	12	15	9	2
Purchase of Land for Vimukat Jaties	1		5			
Interest-free load for trades		67	76	158	67	32

Name of the Scheme	Amabala	Gurgoan	Hissar	Jind	Karnal	Mohinder-garh	Rohtak
3 percent loan for different trades		1549	930	2450	550	435	907
Loan for purchase of plots	116	107	399	350	96	75	155
Loan under land scheme for registration of land		63		31			6
Number of application received during 1969-70							
House/wells subsidy	12						
House for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	271	230	221	217	77	79	102
House for sweepers	38	65	40	15	65	18	
House for Vimukat Jaties	21	45	14	7	12		
Drinking water wells	55	70	43	60	16	23	15
Legal Assistance	6	5	7			2	
Loan to Harijan for purchase of books					16	7	

Loans to Harijans for starting business/expansion of trades	2408		8288	600	751	1495
Interest-free loan	95	2632	269	50	35	
Loan to Harijan for purchase of Agriculture land	16	2		3		

Amount earmarked for the year 1968-69 to various districts

Name of the Scheme	Amabala	Gurgoan	Hissar	Jind	Karnal	Mohinder-garh	Rohtak
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Subsidy for purchase of agriculture land	22000	22000	34000	10000	30000	10000	26000
Stamp duty	3960	3960	6120	1800	5180	1800	4680
House/wells under land purchase scheme	5500	5500	8500	2500	7500	2500	6500
Subsidy for purchase of pigs/poultry birds	11200	9600	15200	3200	13600	3200	12000
Houses for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	17100	17100	26100	7200	23400	7200	21900
Houses for sweepers	8100	8100	13500	3600	12600	3600	10500
Houses for Vimukat Jaties	5400	5400	2700	2700	7200	1800	6400

Drinking water wells	20000	20000	31000	8000	28000	8000	25000
Legal Assistance	2000	2000	2000	1000	2000	1000	2000
Interest-free loan	12000	11200	17600	4800	15200	4800	14400
3 percent for (loan) different trades	385000	385000	605000	165000	350000	165000	490000
Community Centre	7000						
Purchase of plots	70000	70000	110000	30000	100000	30000	90000
Loan for registration of old land cases			62000	126000			12000
Amount earmarked for the year 1969-70 to various districts							
Subsidy for houses/wells	11000	11000	17500	5000	16000	5000	24000

Name of the Scheme	Amabala	Gurgoan	Hissar	Jind	Karnal	Mohinder-garh	Rohtak
	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
Houses for Scheduled Castes other than those engaged on unclean occupation	17100	17100	26100	7500	23400	7200	21600
Drinking water wells	21000	21000	33000	9000	30000	9000	27000
Legal Assistance	1400	1400	2200	600	2000	600	1800
Houses for sweepers and scavangers	13500	13500	21600	6400	20700	6300	18000
Houses for Vimukat Jaties	4500	4500	6300	1800	5400	2100	5400
Loan to Harijans for starting business/expansion of trades	140000	140000	220000	60000	200000	60000	180000
Interest-free loan	11200	11200	17600	4800	16000	4800	14400
Loan to Harijans for purchase of agriculture land	40500	40500	67500	18000	61500	18000	54000
Loan to Harijans for Purchase of		Placed at the disposal of the Director, Welfare of Scheduled					

books

castes and Backward Classes, Haryana.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, यह जवाब मुझे अभी मिला है। आप की बड़ी मेहरबानी होगी अगर कल इस पर सप्लीमैंट्रज़ पूछने की इजाज़त दे दी जाए।

Mr. Speaker : We will consider it after a while. In the meantime we go to he next question.

कृषि मन्त्री : अध्यक्ष महोदय, चौधरी चांद राम ने कहा है कि मैंने इस सवाल को पढ़नहीं है। स्पीकर साह, यह आठ दस साल से इस सवाल को पढ़ते आ रहे हैं। जब इतने लम्बे अर्से में इनको इस की समझ नहीं आई तो अब थोड़ी देर में क्या समझ आएगी ?

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब मैंने तो यह कहा था कि यह जवाब मुझे अभी हाउस में मिला है, यह तो बच्चा है उसकों मैं क्या कहूं, इस को ऊंचा सुनता है शायद।

Vasectomy and Tubectomy Operation

***403. Shri Daya Krishan :** Will the Minister for Health Development to pleased to state –

(a) the number of Vasectomy and Tubectomy Operation performed during 1 April, 1968 to 31st March 1969 and 1st April, 1969 to 30th June, 1969, 1969 Separately ;

(b) the amount spent by the Government of Family Planning during the above period separately ;

(c) the amount payable to a person who undergoes such an operation ;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to substantially increase the amount referred to in part (C) above in order to attract poor people to undergo such operations ;

(e) steps, if any, taken or proposed to be taken by the Government to make this scheme popular amongst the poor and illiterate persons ;

(f) whethter there is any proposal to give some advance increments in the pay of Government servants who might undergo such operation. ;

(g) whether it is a fact that the doctors and the other staff of the family planning have no sufficient work with them ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : (a) The following is the performance in respect of Vasectomy and Tubectomy Operation :-

Period	No. of vasectomies	No. of tubecontomies
(i) 1st April, 1968 to 31 March 1969	14118	5229
(ii) 1st April 1969 to 30th June, 1969	1235	1577

(b) Amount spent the Family Planning Programme :-

(i) 1st April, 1968 to 31 March 1969 Rs. 66.41 excluding construction of buildings

(ii) 1st April 1969 to 30th June, 1969 Rs. 11.40 lakhs excluding construction of buildings

(c) Amount payable to person undergoing the operation :-

Vasectomy	Rs. 10
Tubectomy	Rs. 15

(d) No.

(e) There is a two way approach namely mass media communication and personalized approach. The mass media activities are carried thought he medium of press, radio, films, frames, dances, songs, puppet shows, wall paintings, posters, pamphlets, hoardings, mass meetings, etc., etc.

The personalized approach is made thought house to house contact and repeated home visits to the eligible couples by the field staff of this department. The area in each block has been divided amongst the Family Planning Workers and they are allotted the particular number of eligible couples where the age of wife is between 15 and 45 years and she is capable of producing child, female workers motivate the wife and male motivate the husband. In order to reach the remotest villages, there are mobile teams which take the message of the programme to each home.

Special efforts are made to reach the poorer sections of society through media best understood by them. For example puppet shows, dances , local songs, local mushaira, radio rural forum and though transistors supplied to M.Ms.

It has been decided to have the list of 20 satisfied customers in each Primary Health Centre of State along with their consect in writing prepared that he had undergone sterilization operation/I.U.C.D. insertion and he/she is ugly satisfied with the service rendered to hem and give this a wide publicity.

(f) There is no such proposal at present.

(g) The Family Planning Programme is integrated with other Programmes of the Health Department. The Doctor posted under Family Planning Programme is also required to supervise other work connected with the Health Department activities in addition to Family Planning and is also responsible for medical care.

As regards other staff working under Family Planning Programme, they have sufficient work with them as they are to canvass and motivate the eligible couples with required repeated visits by the staff to get them prepared to adopt one of the approved methods of Family Planning Programs. Further after sterilization operation/I.U.C.D. insertion, follow-up action to get them prepared as satisfied customers is done by the Family Planning Staff. In addition to above, The Family Planning staff arranges mass and group meetings, films and puppet shows, vasectomy, tubectomy and

orientation camps, seminars, etc., in order to create awareness amongst the masses of the State about the efficiency of the programme.

श्री दया कृष्ण : स्पीकर साहब, इनके जवाब के मुतबि 1 अप्रैल 1968 से 31 मार्च 1969 तक 14118 आप्रेशन हुए तेकिन उससे अगरले साल इसी पीरियाड के दौरान सिर्फ 1235 हुए जिसका मतब है कि पहले से एक तिहाई। हुए क्या मैं इन से जान सकता हूं कि इस भारी कमी की क्या वजह है ?

स्वास्थ्य मन्त्री : अगर आप जवाब अच्छी तरह देखेंगे तो आप को पता लगेगा कि टारगैट तकरीबन उतनी ही लिया गया जितना पहले था कोई कमी नहीं हुई । जितनी कमी वैसक्टामी आप्रेशन्ज़ में हुई उतनी ट्यूबिक्टामी आप्रेश्न्ज़ में पूरी हो गई वैसे इन टारगैट्स में वेरीएशन होती रहती है क्योंकि जितने टारगैट्स अचीव किये जा चुके हैं पिछले सालों में, उन से कम टारगैट्स इस लिये फिक्स होते हैं कि एलिजिबल कपल्ज़ पहले से कम तादाद में रह जाते हैं और बहुत सारे हार्ड केसिज़ ही रह जाते हैं जिन को कनविंस करानें में वक्त लगता है। इसलिये अगले सालों में पहले से प्राग्रैस कुछ सलो ही रहती है।

श्री दया कृष्ण : क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि यह जो तादाद पिछले साल सवे एक–तिहाई रह गई यह मी बहुत ज़्यादा नहीं है ?

मन्त्री : पहले वैसिक्टामी आप्रैश्न्ज पर ज़्यादा जोर था लेकिन अब ट्यूविक्टामी आप्रेशन्ज़ पर ज़्यादा ज़ोर हो गया है। इसलिये अगर एक तरफ कमी हो जाती है तो दूसरी तरफ तादाद बढ़ जाती है। जैस कि इस जवाब से ज़ाहिर है।

श्री दया कृष्ण : क्या वह देखेंगे कि ट्यूविक्टामी के आप्रेशन बढ़ जाने से खर्च भी बढ़ जाता है क्योंकि ट्यूक्टिामी आप्रेशन कराने वाले को 15 रूपये दिये जाते हैं लेकिन वैसिक्टामी वाले की 10 रूपये दिये जाते है। तो क्या वेसिक्टामी आप्रेशन्ज़ ज़्यादा करने से खर्च में कमी नहीं हो सकेगी ?

मन्त्री : यह सारा पैसा गवर्नमट आफ इंडिया से आता है और नैशनल स्कीमों के तहत ही हम सब कुछ करते हैं।

श्री बनारसी दास गुप्ता : क्या मन्त्री महोदय बतायेंगे कि पिछले दिनों जो सरकारी कर्मचारियों की नसबन्दी आप्रेशन कराने के लिये रियायलतें देने की घोषणा की गई थी उसका कैसा रिसपौंसर रहा है ?

मन्त्री : काफी फेवरेबल सिपौंस मिला है।

चौधरी लाल सिंह : क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि अब तक कितने लूप लगाये गये हैं और उन में से कितने कामयाब हुए हैं ?

मन्त्री : नाकामयाबी की एक ही खास रिपोर्ट मिली है और उसके लिये हम ट्यूबिक्टामी आप्रेशन रिकमैंड करेंगे ? (हंसी)

चौधरी हर किशन लाल कम्बोज : क्या वज़ीर साहब बतायेंगे कि सरकारी मुलाज़िमों को रियायतें देने की बिना पर, किसी मास्टर ने उनके पास तबादले की दरख्वास्त दी और क्या वह इस बिनाा पर मंजूर की गई या नहीं ?

मन्त्री : किसी के तबादले का केस आप्रेशन की बिना पर डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है।

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज : क्या आपने एलान नहीं यिका था कि अगर कोई ऐसे मुलाज़िम होंगे 2/3 बच्चे होंगे और वे आप्रेशन करवा लेंगे तो उनके हसब–मन्शा स्थानों पर तबादले कर दिये जायेंगे ?

मन्त्री : इस बिना पर रिकमैंडेशन की जा सकती है लेकिन हो सकता है कि किसी एक केस में इस के इलावा और कोई बजूहात हों।

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोज : मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने ऐसी घोषणा की थी या नहीं ?

मन्त्री : हम कोशिश करते हैं कि लोगों को एन्करेज करने के लिये ज़्यादा से ज़्यादा अटरैक्शन रखी जाये। लेकिन I would request for a separate notice, so that I can collect the information elicited by him.

Mr. Speaker : The question was very simple. It was, infect, a general question. The point is whether you gave an assurance or guarantee for that ?

Minister : This was, Sir, a suggestion from the State Family Planning Committee.

चौधरी हरकिशन लाल कम्बोजब : रसाला में जो अपकी तस्वीर छपी है और साथ में आप की वह धोषणा छपी हुई है, क्या वह गलत है ?

मन्त्री : वह रसाला देख कर ही मैं पूरी इत्तलाह दे सकूंगा।

Mr. Speaker : But, surely it is a simple matter and the Minister should be able to reply to it.

Minister : This was recommendation from the State Family Planning Committee. I am not aware of any announcement having been made in this connection.

चौधरी नेकी राम : क्या यह दुरूस्त है कि आप्रेश्न्ज़ के सिलसिलें में कुछ लोगों को मुस्तसना किया गया है ? मैं जानना चाहता हूं कि कौन लोग है जिन को मुसतसना किया गया है ?

मन्त्री : फैमली प्लैनिंग के लिये जितने भी कपल लिये जाते हैं उन की एलिजिबिलिटी के लिये कुछ कंडीशन्ज़ होती है जैसा कि मिसाल के तौर पर वह फरटाइल हो तो इस एज–ग्रुप से

आगे निकल जाते हैं उनको उनकी रिक्वैस्ट के बिना पर आम तौर पर नहीं लिया जाता।

चौधरी हर किशन लाल कम्बोज : स्पीकर साहब, मैं अखबारों और रसालों की कटिंग्ज़ पेश कर दूंगा इस लिये आप इस सवाल को पोस्टपोन कर दें।

Mr. Speaker : The Minister will give you a definite answer tomorrow.

चौधरी लाल सिंह : क्या वज़ीर साहब बताएंगे कि अगर किसी 70 साला बूढ़े का या किसी ऐसे बच्चे का जिससे अभी कोई संतान पैदा न हुई हो आप्रेशन कर दिया गया हो तो आप्रेशन करने वाले के खिलाफ क्या ऐक्शन लिया जाएगा और ऐसी बातें जो पहले ही उनके नाजिल में हैं उनके बारे में क्या ऐक्शन लिया गया है ?

मन्त्री : अगर ऐसा किसी के साथ हुआ हैं तो उसका नाम बताए, लेख कर दें इन्कावायरी कर सकते हैं ?

चौधरी बनवारी राम : यह जो आप्रेशन किये गये है इनमें से शेड्यूल्ड कोस्ट्स वालों के कितने हुये हैं और दूसरी जातियों के कितने किये गये है ?

मन्त्री : यह तो सारी स्टेटिसटिक्स इकट्ठी करनी होगी, इसलिये इसके लिये नोटिस दे दें, पता करके बात देंगे ?

चौधरी बनवारी राम : अगर स्पीकर साहब, इनको यह भी पता नहीं कि हरिजनों के कितने आप्रेशन हुए हैं और दूसरों के कितने हुए हैं तो इनको मंत्री पद से अस्तीफा दे देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप नोटिस दे दें यह इन्फर्मेशन आपको मिल जायेगी।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, चौधरी लाल सिंह के पूछने पर कि अगर किसी 70 साला बूढ़े का और किसी गैर–शादीशुदा आदमी या बच्चे का आपेरेशन हो गया हो तो क्या ऐक्शन लैं, वज़ीर साहब ने फरमाया कि अगर ऐसा केस सरकार के नोटिस में लांगे तो कार्यवाही करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि 70 साला बूढ़े की तो कोई बात नहीं हो गया या नहीं, लेकिन अगर किसी गैर–शदीशुदा का आप्रेशन कर दयिा होगा तो इस सरकार के पास कौन सेा ऐसा साधन है कि उसको फिर से पोटेंट कर देगी (हंसी)

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, जैसे कि चौधरी बनवारी राम ने पूछा था कि जिन के आप्रेशन किए गए हैं उन में से हरिजन कितने हैं और नान–हरिजन कितने हैं, तो मैं भी पूछना चाहता हूं कि क्या रजिस्टर में आप्रेशन करवाने वाले के नाम के साथ साथ उसकी जाति भी दर्ज़ की जाती है ?

मन्त्री : यह इन्फर्मेशन मेरे पास नहीं है, बाद मं मंगवाकर दे दूंगा।मेरा ख्याल है कि दर्ज की जाती है।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या रूल्ज़ के मुताबि ऐसा रजिस्टर तैयार करने का प्रोविज़न है जिसमें जाति दर्ज की जाती हा ?

Mr. Speaker : The hon. Minister is not sure. He says, he will find it out and let you kown, tomorrow.

चौधरी चांद राम : क्या वज़ीर साहब बताएंगे कि क्या उन्होने कोई ऐसा सरकुलर जारी किया जिसमें इंड्यूसमेंट दी गई हो कि जो ज़्यादा से ज़्यादा आप्रेशन करवानें में मदद करेगा उसको ट्रांजिस्टर वगैरा के इनाम दिये जायेंगे ?

मन्त्री : यह प्राईज़ की स्कीम है, लेकिन मेरे पास इसकी डिटेल नहीं, मंगवाकर दे दूंगा।

Chaudhri Chand Ram : Mr. speaker, Sir if you remember, even last time, i.e., during the last session there was a dispute about this very circular letter issued by the hon. Minister. In fact you had also requested and the hon. Minister promised to supply the correct information. I would request the hon. Minister to supply this information as early as possible.

Mr. Speaker : I do remember that this very question was asked during the last session of the Vidhan Sabha. But I do not remember the answer that was given then. I think the information asked for by the hon. Member is quite a reasonable on, and it ought to be supplied.

Minister : Sir, it will be supplied.

चौधरी चांद राम : मिनिस्टर साहब से एक विजिलेंस का सवाल पूछा था कि एक मिनिस्टर कोई अपील निकालता है उसको उसका पता होने चाहिए, लेकिन इन्हें तो मलूम ही नहीं है कि ऐसी कोई अपील निकाली है या नहीं। यह तो उनकी ऐफिशिऐन्सी का सवाल है।

मुख्य मन्त्री : मिनिस्टर को कई तरह की अपीलें निकालनी पड़ती हैं, डिपार्टमेंट के कई तरह के काग़जात होते हैं, इश्तिहार होते हैं, इसमें इन–ऐफिशिएन्सी की कोई खास चीज़ नहीं है।

Mr. Speaker : Anyway, the hon. Member will get the information.

मलिक मुख्तियार सिंह : क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बताएंगे कि उन्होंने इस किस्म का कोई ऐलान किया था कि जो गवर्नमेंट सर्वेन्ट अपना या अपनी वाईफ का आप्रेशन करवा लें और इम्पोटेंट हो जायें तो उसे उस इम्पलाई की मर्ज़ी के मुताबिक अच्छे स्टेशन पर ट्रांस्फर कर दिया जायेगा ?

स्वास्थ्य मन्त्री : मैं बता चुका हूं।

चौधरी जय सिंह राठी : स्पीकर साहब, सवाल मलिक मुख्तियार सिंह जी का भी यही है कि क्या हैल्थ मिनिस्टर साहिब ने ऐसी कोई अनाउंसमेंट की है या नहीं ? अगर की है तो वे कह दें कि हां की है ?

Mr. Speaker : We have taken a decision on this matter that definite reply will be given to the House on this point.

श्री ओम प्रकाश गर्ग : स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जिन्होंने ये सवाल किये है उनके पास कितने कितने बच्चे है ? (हंसी)

मलिक मुख्तियार सिंह : क्या मन्त्री महोदय बताऐंगे कि जो आप्रेशन किये जाते हैं क्या उनमे मुसलमान जाति के लोग भी होते हैं ? वैसे तो अभी खान अबछुल गफ्फार खां ने कहा था कि आप्रेशन करवाना उनकी शरियत के खिलाफ है। अगर मुसलमानों के आप्रेशन नहीं करवाये जाते तो यह डिसक्रिमिनेशन किस लिए किया जाता है ?

मन्त्री : डिक्रिमिनेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि आप्रेशन करते वक्त मज़हब का ख्याल तो रखा नहीं जाता, वलेंटेरेली जो अपने आपको आफर करते हैं उन्ही का आप्रेशन करते हैं। डक्टर रिलीजन की तह में नहीं जाता, यह आप्रेशन करवाने वाले का पर्सनल मैटर है, चाहे करवाये चाहे न करवाये।

चौधरी जय सिंह राठी : क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि हरियाणा में कितने मुसलमानों का आप्रेशन किया गया है ?

मुख्य मन्त्री : जाति के बारे में पहले ही जवाब दे चुके हैं, अगर इस किस्म की कोई इन्फर्मेशन होगी तो सप्लाई कर दी जायेगी।

चौधरी चांद राम : अगर किसी अन–मैरिड यंग–मैन का आप्रेशन हो जाये और यह साबित हो जाये कि आप्रेशन उस यंग–मैन की मर्ज़ी के खिलफ हुआ है तो क्या सरकार उसको उसका मुआवज़ा देगी ? और क्या सरकार उस आफिसर के खिलफ कोई एक्शन देलगी जिसने कि आप्रेशन किया है ?

मुख्य मन्त्री : जी हां, अगर कोई केस ऐसा होगा तो उस पर मुनासिब ऐक्शन लिया जायेगा।

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, पिछले सैशन में भी इस बात पर बहस हुई थी कि फोर्सिबली आप्रेशन होते रहे जिसके परिणामस्वरूप गोली वगैरह भी चलाई गई। मैं जानना चाहता हूं कि अगर किसी की मर्ज़ी के खिलाफ अन–मैरिड आदमी का आप्रेशन हो गया हो तो क्या इस के बारे में गवर्नमेंट ने कोई इंस्ट्रक्शन्ज़ होनी बहुत ज़रूरी हैं ताकि वे लोग इस बात से खबरदार रहें कि अगर किसी की जिन्दगी से खेलेंगे तो उन्हे ऐसी ऐसी सजा मिलेगी।

मुख्य मन्त्री : जब ऐसे केस गवर्नमेंट के नोटिस में आयेंगे तो उन पर मुनासिब कार्यवाही की जायेगी।

Mr. Speaker : The best thing is that if there are any such cases, they should be brought to the notice of the Health Minister and the Government will then consider and decide as to what should be done by way of compensation to the aggrieved and punishment to the person concerned. The Government and also think without waiting for such as case, because it is a matter that does need consideration.

मलिक मुख्तियार सिंह : क्या मुख्य मन्त्री महोदय बतायेंगे कि उन्होने अपना आप्रेशन करवाया है या नहीं ?

मुख्य मन्त्री : पहले मलिक मुख्तियार सिंह का करवायेंगे तब मैं करवाऊंगा। (हंसी)

स्वास्थ्य मन्त्री : चौधरी साहब असैम्बली के सीनियर मैम्बर हैं, मैं उनही से आप्रेशन करवाना शुरू करूंगा। (हंसी)

खान अब्दूल गफ्फार खां : क्या अनारेबल मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि इंपोट्रेट केस का कम्पेंसेशन कितना होगा ?

मन्त्री : हमारे नोटिस में कोई डैफिनिट केस नहीं आया । अगर ऐसा कोई होगा तो मेरिट पर एग्ज़ामिन कर लेंगे।

Khan Abdul Ghaffar Khan : What does the hon. Minister mean by compensation ?

Minister : The compensation is always given on the assement of each case. So we will assess each and every case on merits.

Mr. Speaker : If by chance some people for the sake of little money have down some thing and a young man has suffered, I think such a matter does require consideration.

चौधरी चांद राम : स्पीकर साहब, चौधरी जगदीश चन्द्र ने जार्जिज लगाये थे कि उनके गांव में एक यंगमैन का अप्रेशन जबरदस्ती किया गया था

Mr. Speaker : We have now agreed that they (the Government) will consider this matter and take a decision.

Framing of Service rules for appointments to the posts of Lectures

***.394. Shrimati Prasanni Devi :** Will the Chief Minister be pleased to State –

(a) whether any service rules have been framed by the State Government for making appointments to the posts of Lecturers in Class III and Senior Lecturers in Class II Services in the Haryana Education Department ; if so a copy thereof be laid at the Table of the House ;

(b) the date when the services rules referred to part (a) above were framed and also the date when the same came into force ;

(c) whether any rules were in force prior to the coming into force of this rules, if so, a copy there off may be laid on the Table of the House ?

Shri Bansi Lal : (a) No.

(b) & (c) In view of reply to part (a) above, the Questions do not arise.

श्रीमती चन्द्रावती : अगर रूल्ज़ फ्रेम नहीं किए गए हैं तो सीनियर और जूनियर लेक्चरार्ज़ किस तरह लग जाते हैं ? क्या डायरैक्टर मनमानी कर लेता है ?

मुख्य मन्त्री : जी नहीं । स्पीकर साहब, appointments to the posts of Senior Lecturers in Class II are presently governed by the Punjab Education Service (Class II) Rules, 1934, which came into force with effect from the 1st January, 1935. These rules have been adopted by the State Government, -vide notification No. GSR/Const/Art. 309/Amd (1)/(69), dated the 10th July, 1969. A copy of the rules which may have been in force prior to 1st January, 1935, is not available.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने पार्ट "ए"के बारे में कहा था कि ऐसे कोई रूल्ज़ फ्रेम नहीं हुए हैं मगर अब कहते हैं कि फ्रेम हुए हैं ?

मुख्य मन्त्री : हमने फ्रेम नहीं किए है बल्कि पंजाब में जो रूल्ज़ थे उन्हे अडौप्ट करके यहां लागू किया है।

श्रीमती चन्द्रावती : क्या चीफ मिनिस्टर साहब बताएंगे कि थर्ड–क्लास एम.एज. को सीनियर और जूनियर लैक्चरार्ज की जगह पर अप्वायंट किया जा सकता है ?

मुख्य मन्त्री : इन सवालों का जवाब कल दिया जा चुका है।

श्री अध्यक्ष : क्या आप सैटिस्फाइड है ?

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब मेरा तो सप्लीमैन्टरी है। मैं तो जावब चाहती हूं। फिर स्पीकर साहब कल तो तीन ही सवाल हुए थे जि में यह सवाल नहीं आता ?

मुख्य मन्त्री : जनाब, कल तीन ही सवाल हुए थे। ये खुद ही हाउस का ज़्यादा समय लेते है। हम क्या करें इस में हमारी कोई गलती नहीं।

Mr. Speaker : He says these had been answered yesterday or sometime earlier.

श्रीमती चन्द्रावती : स्पीकर साहब, यह सवाल आज की लिस्ट पर छपा है। इसलिये मुझे सवाल पूछने का हक है।

Mr. Speaker : There were some questions on this very subject yesterday but the House only dealt with three question. So, to the other question, written replies are available and the answer to the question that you have asked might be there.

श्रीमती चन्द्रावती : मेरा तो ओरिजनल सवाल नहीं है। मैं तो हाउस में ही सवाल पूछ सकती हूं।

मुख्य मन्त्री : अगर ओरिजनल सवाल ही नहीं है तो सप्लीमैन्टरी पैदा ही नहीं होता ।

श्री अध्यक्ष : खैर, चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा है कि इन्होने इस सवाल का जवाब दे दिया है If the answer to your quesiton is already there in those replies, you need not have to aks any qeusiton. You may, therefore, consult those replies and, after consulting them, if you are not satisfied and still want any information, we can get you the same.

Nationalisation of Road Transport

***450. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to State –

(a) whether the Government has decided to nationlise the Bus transport ; if so, the names of the routes proposed to be nationalised together with the time by which and the manner in which the same is proposed to be don ; and

(b) whether the Government will absorb all the persons employed in the said industry at present to gather with the criteria proposed to be kept in view for absorption of such persons ?

Shri. Bansi Lal : It would not be in public interest to give reply to this question.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मेरी सबमिशन यह है कि ये रोड ट्रांस्पोर्ट को नेशनेलाइज़ कर रहे हैं और मैंने इस के बारे में इन से सवाल पूछा है। प्रश्न बड़ा सीधा और सादा सा है

और वह स्पीकर साहब आपने पढ़ ही लिया होगा। अगर इज़ाजत हो तो पढ़ दूं ?

श्री अध्यक्ष : : मैंने पढ़ लिया है।

श्री मंगल सैन : मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि अवाम के मफाद में, जन–हित में, पब्लिक इंट्रैस्ट में नहीं है कि इस बात को डिक्लोज किया जाए। स्पीकर साहब, यह सारा केस आपके नोटिस में है। हरियाणा का अवाम जानता है हम जानते हैं

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहब, यह सवाल पूछ रहे हैं या स्पीच दे रहे हैं?

श्री अध्यक्ष : आप सवाल पूछ लीजिए।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, मैं सबमिशन कर रहा हूं। मेरी सबमिशन है कि क्या कारण है इस का जवाब न देने का ? इस में कौन सी बब्लिक इंट्रेस्ट की बात आ गई है जो निकल जाएगी तो बहुत हफड़ा–दफड़ी पैदा हो जाएगी ?

Mr. Speaker : The point is that on this matter the Minister concerned is the best judge. I myself can see certain things which may create trouble or embarrassment to the Government or to him, if he divulges that information at present.

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, कई दफा स्टेटमैंट्स दी गई है कि ट्रांस्पोर्ट को नेशनेलाइज़ कर रहे हैं।

इनका इसके पीछे अल्टीरियर मोटिव है। हम तो सिर्फ यही जानना चाहते है कि डिक्लेयर्ड पालिसी को ध्यान में रखते हुए ये इस नेशनेलाइज करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते है ? इस बात को बताने में इन को क्या हर्ज़ है ? What kind of public interest is ivolved in this ?

Mr. Speaker : I will read the question which says –

"(a) .....if so, the names of the routes proposed to be nationlised together with the time by which and the manner in which the same is purposed to be don ; and ....."

श्री मंगल सैन : यह नोटिफिकेशन में पहले ही मौजूद है जिस जिस रूट को ये नेशनेलाइज़ करने जा रहे हैं।

Mr. Speaker : About all the routes ? Any way, let the Chief Minister reply.

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहब, जिस नोटिफिकेशन का डाक्टर साहब ज़िक्र कर रहे हैं उसके बारे में हमने कोमैन्ट्स इनवाइट किए थे। कुछ लोगों से एजराज़ात आए हैं। सरकार ने सैक्रेटरी को एग्ज़ामिन करने के लिये कहा है। अगर आज मैं हाउस में कुछ कह दूं तो ठीक नहीं रहेगा। उनसका फैसला प्रैजुडिस होगा। फिर कुछ लोगों ने हाई कोर्ट में रिट भी की है। इसलिये this is not in public interest to reply this question.

(A this stage two or three members ros in their seats)

Mr. Speaker : I think, we will be wasting the time of the House.

Shri Mangal Sein : I am not wasting the time of the August House. मेरी सबशिन यह है कि मुख्य मन्त्री जी कह रहे हैं कि सैक्रटरी के ज़िम्मे लगाया है

मुख्य मन्त्री : ज़िम्मे नहीं लगाया है बल्कि कानून कायदे में उसको अख्तियारात हासिल है। पर्लियामैन्ट का ऐक्ट बना हुआ है। उनसके अनुसार उसे एग्ज़ामिन करने को कहा गया है।

श्री मंगल सैन : मैं अपनी बात को अमैन्ड कर लेता हूं। स्पीकर साहब, मैं आपकी सेवा में कहना चाहता हूं कि मैंने पूछा था कि कौन कौन से रूट्स नेशनेलाइज़ करने जा रहे है। वे रूट्स आलरेडी नोटिफिकेशन में हैं परन्तु बजाय इस के कि ये जवाब देते इन्होंने कह दिया कि बब्लिक इन्ट्रैस्ट में नहीं है। यह भी नहीं कहा कि सबजुडिस मामला है।

Mr. Speaker : I want to ask you a question. If that was laready there in the notification, why did you ask the question ?

Chaudhry Chand Ram : Certain routes are proposed to be nationalised while others not....

श्री मंगल सैन : बहुत से सप्लीमैन्टरीज़ उसके जवाब से पैदा होते है।

Mr. Speaker : If there was only one question about the policy, i.e., whether the Government wanted to do so or not, that was different matter. But here, there will be so many problems of this matter, so many aspects of this matter and we should be normally content, unless there are serious reasons to believe otherwise, with the answer given by the Chief Minister.

Chaudhry Chand Ram : There are certain routes which are proposed to be nationalised and they are mentioned in the notification while there are others which have not been notified to be natinalised. The House has therefore, the right to know the reasons for this discrimination.

Mr. Speaker : This was not the question.

Chaudhry Chand Ram : This supplementary question could have arisen from the reply to the question.

श्री मंगल सैन : नहीं जी। स्पीकर साहब, मेरी सबशिन यह है कि आपने रूल्ज़ में देखा होगा, हम कवैश्चन्ज़ के द्वारा लबी बात नहीं पूछ सकते। हम पूछते है बात थेड़ी सी टू दा प्वांयट और उसका जो जवाब आता है उस में से सप्लीमैन्टरीज़ पैदा होते है। इस सवाल में मैंने पूछ रखा है कि कौन कौन से रूट्स नेशनेलाइज़ करने जा रहे हें? ये यदि कहे कि रोहतक करनाल तो हम पूछ सकते है कि गुड़गांव क्यों नहीं किया ? क्या कारण है उसका ? सैकण्डली मेरे क्वैश्चन का पार्ट 'बी' यह है –

(b) whether the Government will absorb all the persons employed in the said industry at present together with

the criteria proposed to be kept in view for absorption of such persons.

तो मैं आप से प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन को कहें कि इसका जवाब दें क्योंकि हजारें मुलाज़िमों का भविष्य बीच में लटक रहा है। क्या उनको ये नौकरी में लेगे या नहीं लेंगे उनका पता लगना चाहिए।

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहब ये क्यों भाषण दे रहे हैं। भाषण दे रहे है। भाषण से कोई फायदा नहीं। जो जवाब था मैंने दे दिया है। I will not say anything more than what I have already siad.

Shri Mangal Sein : I am not worried whether you say anything or not. यह बात तो आप को कनविंस करवानी चाहिये मेरा क्वश्चन बिलकुछ ठीक है। आपने क्वेश्चन को एडमिट किया है। मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि आप मेरे सवाल का जवाब देने के लिये गवर्नमैंट को फोर्स करिए।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब आन ए प्वांयट आफ आर्डर सर। मैं जानना चाहता हूं कि जब गवर्नमैंट ने कुछ रूट्स नेशनेलाइज़ करने के लिये नोटिफिकेशन निकाली हुई है और यह सवाल आपने एडमिट किया हुआ है तो इन्होंने एट दी आउट सैट पब्लिक इंट्रैस्ट कह कर इस सवाल का जवाब देने से क्यों टाल दिया है ? इन को इतना तो कहना चाहिये था कि उसके बारे में गवर्नमैंट की यह नोटिफिकेशन हुई है सैटलमैंट के

बारे में कहते तो भी जस्टिफिकेशन हो सकती थी । फिर कह सकते थे कि इसके अन्दर पब्लिक इंट्रैस्ट इन्वोल्वड है ? इन बातों को ध्यान में रख्ते हुए, स्पीकर साहब, मै। आपकी रूलिंग चाहता हूं कि गवर्नमैंट ने जो जवाब दिया है क्या वह कौरैक्ट है ?

मुख्य मन्त्री : स्पीकर साहब इनको ध्यान नहीं इस सवाल का मैं जवाब दे चुका हूं कि हमने जिन रूट्स की नोटिफिकेशन की है, उस पर लोगों के एतराज़ात आये है। सैक्रेटरी साहब ने हियरिंग की तारीख दे रखी है, इसलिये इस स्टेज पर और कुछ बताना उचित नहीं है।

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब, इनकी ओर से कुछ तो जवाब आना ही चाहिये। Is that the way in which he should reply to a question ?

Mr. Speaker : I will say it is the responsibility of both sides. If a responsible Chief Minister or Minister says something unless you give lear reasons to believe to the country you should accept it. On the other hand it is the duty of the Minister also to reasonably satisfy.

They have said that objections have been received and these are to be heard by the Secretary.

मलिक मुख्तियार सिंह : स्पीकर साहब उसके जवाब मं यह तो कहा ही जा सकता था कि नोटिफिकेशन हुई थी और अब हम इस स्टेज पर पहुंचे हैं लेकिन ये तो सारी चीज़ों को कन्सील करना चाहते हैं।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब मेरा क्वैश्चन कल के लिये पोस्टपोन किया जाये ताकि इस पर कल विचार हो सके।

Mr. Speaker : You have heard the reply that no more details can be given.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, बिद ड्यू स्पिैक्ट मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है। हम आफिस को सरटन क्वेश्चन लिख कर देते है। अगर वे रूल के मुताबि आप द्वारा एडमिट कर लिए जाते हैं, तो उनका ट्रेजरी बैंचिज़ की तरफ से जवाब दिया ही जाना चाहिये। इसके जवाब देने में ऐसी कौन सी बात है जिस पर हम डाके मारना चाहते हैं और वे हमें रोकना चाहते हैं।

Mr. Speaker : You forget my ruling ; I can't force a Minister to answer a question.

श्री मंगल सैन : वह तो ठीक है लेकिन आप पोस्टपोन तो कर सकते है।

Mr. Speaker : I always help in every case. We would have postponed the question but the Minister has said that they cannot give any more details. You cannot force him to reply.

Shri Mangal Sein : Please postpone it.-

Mr. Speaker : This will not be postponed ; you can discuss this with me in my Chamber.

Shri Mangal Sein : We will not discuss.

Mr. Speaker : Then it is alright. The question hour is over.

WRITTEN ANSWERS TO STARRED QUESTION LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE UNDER RULE 45

***.428. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to State –

(a) whether the Government has received any representations for providing electric to :-

(1) Chirawta ;

(2) Sikandarpur ;

(3) Bhurja ; and villages Palwal Constituency ;

(b) if the reply to part (a) above be in the affirmative, the action taken or proposed to the taken thereon ?

Shri K.L. Poswal : (a) No representation for providing electricity to villages Chirawata, Sikandarpur, Bhurja and villages of Palwal Constituency have been received in the offices of Haryana State Electricity Board/ State Government.

(b) Question does not arise.

Development of "Morni Hills"

***339. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether it is a fact that Government has taken decision to develop "Morni Hills" and to set up the Summer Capital of the State there ;

(b) if so, the total estimated cost of the project and the additional financial resources proposed to be harnessed therefore; and

(c) the factors which led the Government to take the decision referred to in part (a) above ?

Shri Bansi Lal (a) (i) yes.

(ii) No. it is intended to develop Morni as a hill resort.

(b) No project estimate has yet been prepared. For work of survey, approach road and other preliminaries, a sum of Rs. 5.60 lakhs has been sanctioned form within the existing State resources. The question of harnessing additional financial resources does not arise at this stage.

(c) Development of this backward area and providing a hill resort in Haryana.

Area of Shamilat Land in the State and its lease to Harijans

***366. Chaudhry Chand Ram :** Will the Minister for Health and Development be pleased to state –

(a) the total area of shamilat deh, block wise, in the State ;

(b) the areas the have been leased out to the Harijans in the year 1967-68 and 1968-69;

(c) whether any instruction have been issued for giving such lands on lease to Harijans ; if so, a copy thereof be lead on the Table of the House ; and

(d) whether these instruction are being complied with by the Panchayats ?

Chaudhri Khurshed Ahmed : A Statement containing the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

Serial No.	Name of Block	Total area of shamilat land	**Area leased out to Harijans during**		Whether instructions for giving 1/3 cultivable land to Harijans	Whether instructions are being complied with
			1967-68	1968		
		(a)	(b)		(c)	(d)
		Acres	Acres	Acres		
1	Hissar-I	16970	960	810	Copy of instruction issued,- vide memo No. GI-1/3-68/26755-26836, dated 14th November 1968	Yes

					enclosed	
2	Hissar-II	15202	1145	1206		"
3	Tohana	6680	651	701		"
4	Barwala	9362	687	737		"
5	Hansi-I	9561	935	923		"
6	Hansi-II	9086	432	351		"
7	Narnaund	8708	430	440		"
8	Fatehabd	7234	950	920		"
9	Bhuna	9184	783	745		"
10	Ratia	6738	575	840		"
11	Sirsa	16837	1647	1370		"
12	Bara Gudha	3418	916	729		"
13	Dabwali	12513	745	1181		"
14	Rania	13449	1466	1480		"
15	Bhiwani	11205	566	410		"
16	Loharu	16827	341	240		"

17	Tosham	12064	497	346	"
18	Mundlana	4856	250	253	"
19	Kathura	2854	171	154	"
20	Gohana	5115	208	192	"
21	Rohtak	8313	274	243	"
22	Kalanaur	7995	160	185	"
23	Kharkhauda	7667	284	284	"
24	Beri	5236	291	320	"
25	Bahadurgarh	7632	218	327	"
26	Jhajjar	6161	806	808	"
27	Ganaur	13652	311	397	"
28	Meham	2595	160	111	"
29	Rai	10896	560	560	"
30	Sonepat	13346	266	238	"
31	Salawas	5564	455	473	"
32	Nahar	9943	1710	1685	"
33	Gurgaon	8653	195	208	"

34	Sohna	24680	82	86	"
35	Rewari	4497	392	425	"
36	Bawal	9203	587	386	"
37	Pataudi	11689	699	699	"
38	Khol	10372	748	750	"
39	Nuh	26716	308	222	"
40	Hathin	9267	620	306	"
41	Palwal	9259	355	335	"
42	Bhodal	11406	576	534	"
43	Ballabgarh	8716	845	860	"
44	Faridabad	21040	302	255	"
45	Ferozepur-Jhirkha	24653	825	806	"
46	Punhana	6468	317	325	"
47	Ladwa	12528	975	702	"
48	Shahbad	518	149	166	"
49	Gharaunda	10122	366	304	"
50	Rajond	6862	398	418	"
51	Thanesar	5006	746	109	"

				5	
52	Ghula	43379	3020	4380	"
53	Kaithal	7139	329	329	"
54	Nilokheri	17277	1398	1415	"
55	Assandh	9686	637	540	"
56	Panipat	13072	326	196	"
57	Madluada	18716	241	213	"
58	Pundri	6782	504	519	"
59	Samalkha	4909	173	214	"
60	Nissang	9178	585	538	"
61	Karnal	6862	398	418	"
62	Narnaul	7840	331	331	"
63	Nangal Chaudhry	23518	554	550	"
64	Mohindergarh	24742	581	536	"
65	Ateli Nangal	1261	350	360	"
66	Kanina	12790	726	644	"

67	Dadri-I	851	132	90	"
68	Dadri-II	1260	172	309	"
69	Badhra	9030	113	112	"
70	Jind	8838	512	628	"
71	Narwana	4502	275	287	"
72	Kalayat	5049	486	486	"
73	Saffidon	8178	672	628	"
74	Uchana	1968	485	580	"
75	Ambala	11127	827	711	"
76	Barara	8795	676	680	"
77	Bilaspur	4121	252	272	"
78	Mani Majra	536	103	165	"
79	Naraingarh	5827	588	588	"
80	Raipur Rani	2629	147	276	"
81	Chhachhrauli	4363	175	168	"
82	Jagadhri	6203	261	250	"

From

Shri Kulwant Singh, I.A.S.,

Director of Panchayats, Haryana,

Chandigarh.

To

All Block Development and Panchayat Officers in Haryana State.

Memo No. GI-I/3-68/26755-26836, dated the 14th november, 1968

Subject :- Reservation of 1/3rd cultivable shalmilat land for lease to Harijan and spending the lease proceeds for the welfare of Harijans.

It has come to the notice of Government that despite repeated instruction the Panchaysts in some cases have not taken action to lease out one-third area of shamilat land to Harijans in accordance with the provision(s) to rule 6(I) of the Punjab Village Common Lands (Regulations) Rules, 1964 which lays down that on-third of the cultivable land proposed to be leased shall be reserved for giving on lease by auction to members of the scheduled castes only and if on two different dates fixed for auction no such person is forthcoming, or the panchayat samiti refuses to confirm the auction due to the highest bid of the lease at the auction being less than the average lease rate of the similar lands in the neighborhood in the last five year, the reservation shall cease to have effect. Instruction should, therefore, be issued

to the panchayats to follow the Rules strictly and any defiance of the rules would be viewed seriously. This decision may be brought to the notice of all Panchayats for compliance and cases of non-compliance be reported to this office for necessary action.

Please acknowledge receipt.

(Sd)

Director of Panchayats,

Haryana

No. CL-1/3-68/26837-26946, dated the 14th November 1968

A Copy is forwarded to the :-

(1) All Deputy Commissioner in State for information and necessary action,

(2) All Sub-Divisional Officer (Civil) in the State for information and necessary action.

(3) All M.L.A.s in the State.

for information

(Sd)

Director of Panchayats,

Haryana

No. CL-1-3-68/26947-50, dated the 14th November 1968

A copy is forwarded to :-

(1) Principal Secretary to the Chief Minister, Haryana;

(2) All Secretaries/Party Secretaries to the Ministers for information of the Chief Minister/Ministers.

(Sd)

Director of Panchayats,

Haryana

Panchayat Elections

***404. Shri Daya Krishan :** Will the Minister for Health and Development be pleased to state whether the Panchayat Elections are due in the State and if so, the date thereof and the reasons for not holding the elections so far

and the period, within which such elections are likely to be held ?

चौधरी खुरशीद अहमद : राज्य में ग्राम पंचायतों के आम चुनाव जनवरी, 1969 में होने थे परन्तु वह समय पर इसलिये नहीं करवाए गए क्योंकि सरकार के पास बहुत सी पंचायतों के विभाजन के लिये प्रतिवेदन आये थे निका निपटारा चुनाव से पहले करना आवश्यक था। अब ग्राम पंचायत एक्ट मं चुनाव सम्बन्धी आदि संशोधन करने पर विचार करेन के लिये विधान सभी सदस्यों की एक कमेटी बना दी गई है जिसके सुझावों की स्वीकृति के पश्चात् 1970 में चुनाव करवाए जाएंगे।

Special pay given to the Director, Deputy Director, Assistant Director, etc, of the Education Department

***.395. Shrimati Prasanni Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) whether any special pay is being given to the Director, Deputy Director, Assistant Director, Principal of Government Colleges and other officers of the Haryana Education Department in addition to their pay and dearness allowances ;

(b) if the answer to part (a) above be in the affirmative, the names of given to each one of them and the dates since which the special pays have been allowed to such officers;

(c) the service rules under which the special pay referred to (b) .. above is being given ; and

(d) Whether any increase or decrease has been made in the said special pay; if so, the dates of such increase or decrease and the number and date of the notification under which the said increases or decrease has been made ?

Shri Bansi Lal : A statement giving the requisite information is laid on the Table of the House.

STATEMENT

(a) Yes, except in the case of Director.

(b) The requisite information as on 11th August, 1969, is as under:-

Serial No.	Name of Designation	Amount of Special Pay	Date from which enjoying in Haryana	Remarks
		Rs.		
1	Shri V.S. Mathur, Deputy Director of Public Instruction	100	31-10-67 (A.N.)	
2	Shri Jagdish Raj, Deputy	100	10-9-68	

	Director of Public Instruction		
3	Shri O.P. Gupta, Deputy Director of Public Instruction	100	3-12-68
4	Mrs. P.J.R.D. Ahuja, Assistant of Public Instruction	50	1-11-66
5	Shri K.C. Palta, Assistant of Public Instruction	50	25-10-67
6	Miss Lakhbir Kaur, Assistant of Public Instruction	50	3-10-67
7	Shri K.L. Zakir, Assistant of Public Instruction	50	6-4-68
8	Shri B.R. Sharma, Assistant of Public Instruction	50	21-9-67
9	Shri K.R. Chaudhry, Principal, Government College, Rohtak	50	10-9-69
10	Dr. Harkishan Singh, Principal, Government College, Narnaul	50	9-11-66

11	Dr. J.D. Varma, Principal, Government College, Hissar	50	19-6-67
12	Sh. B.L. Sharma, Principal, Nehru College, Jhajjar	50	1-11-66
13	Dr. B.L. Goswami, Principal, Government College, Jind	50	6-12-68
14	Dr. K.C. Sharma, Principal, Government College, Kurukshetra	50	31-5-67
15	Shri Kuldip Singh Batra, Principal, College of Education, Kurukshetra	50	2-5-69 (A.N.)
16	Miss jaswant Kaur, Principal, Government College, Gurgaon	50	1-11-66
17	Mrs. S. Anand, Principal, Government College for Women, Rohtak	50	11-4-69
18	Shri O.P. Taneja, H.C.S, Administrative Officer	100	28-3-69
19	Shri Raghbir Singh,Assistant Registrar	50	1-11-66

	(Examination)		
20	Shri D.R. Talwar,Budhget and Accounts Officer	50	1-11-66

(c) Special pay is not being given to these officers under Service Rules but they are drawing the same as it is attached to the posts held by them.

(d) There has been no increase or decrease in the rate of Special Paying respect of these officers in the State of Haryana.

Names of Officers of the Transport Department posted at Ambala Cantt.

***451. Shri Mangal Sein :** Will the Chief Minister be pleased to state-

(a) the name of the high officers of gazetted status of the Transport Department who are posted at Ambala Cantt. at present together with the date since when each of them has been posted there ;

(b) the number of years for which an officer generally remain posted at one place and whether any exception has been made in the case of any of the officers referred to in part (a) above ?

श्री बन्सी लाल : (क) श्री पहलाद चन्द्र, सचिव, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी, अम्बाला।

30 अप्रैल, 1962

(ख) आम तौर पर एक अधिकारी एक स्थान पर तीन वर्ष तक काम करता है। श्री प्रहलाद चन्द्र के विषय में किसी किस्म को कोई अपवाद नहीं किया गया। हरियाणा राज्यमें, सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी का केवल एक ही पद है। और वह अम्बाला में हैं, इसलिये यह सम्भवनहीं है कि इस अधिकारी की तबदीली अम्बाला से किसी और स्थान पर की जा सके।

Construction of Road from Bamnikhera to Rasulpur

***440. Shri Roop Lal Mehta :** Will the Minister for Agriculture and Labour be pleased to state –

(a) whether there is any proposal for the construction of a road from Bamnikhera to Rasulpur to link the rural area with pucca roads, if so, the period within which it is likely to be completed ;

(b) whether the Government is aware that the earth work has already been completed on this road under the flood relief scheme?

Chaudhri Ran Singh : (a) No.

(b) Yes.

Dealing of Corruption cases by the D.I.G. (Police) in the Electricity Board

***337. Major Amir Singh Chaudhry :** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) whether it is a fact that a new post of a D.I.G. (Police) has recently been created in the State Electricity Board to deal with the corruption cases ;

(b) if reply to part (a) be in the affirmative, the total additional expenditure to be incurred by the State Electricity Board on this account during the financial year together with the details thereof ;

(c) whether the post of D.I.G. (Police) referred to in part (a) above has been created at the instance of the State Electricity Board or the State Government ;

(d) the detailed justification of the creation of this new post ?

Shri K.L.Poswal : (a), (b), (c), (d) A statement is laid on the Table of the House.

(a) Yes.

(b) The additional expenditure involved is roughly Rs. 8000 per annum as per details given below :-

R.

(i) Pay of D.I.G. @ Rs. 1600 per mensem 1600

Less (ii) Pay of Executive Engineer previously working as Vigilance

officer

1000

Additional Expenditure

600 per

mesnem

(c) The post of D.I.G., Police, to head the Vigilance Unit of the Board has been created by the Board at its own initiative keeping in view the importance or work to be handled by the Vigilance Unit.

(d) The Board is a commercial organisation with its revenue and expenditure running into cross of Rupees. It is, therefore, very essential for it to keep a Vigilance Unit to be headed by a Senior Police Officer for scientific and proper vigilance over the pilferage and theft of stores as also the leakage of revenue in the form of theft of electricity.

Total strength of Police Constable, Head Constable in the State and number of Scheduled Castes among them

***367. Chuahdri Chand Ram :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total strength of Police Constable, Head Constables, A.S.I.'s and S.I.'s, P.I.'s and D.SP.'s in the State

and the number of these belonging to the Scheduled Castes amongst them in each district ;

(b) whether it is a fact that some instructions regarding reservation of posts for members of Scheduled Castes/Backward Classes have been issued, if so, a copy thereof be laid on the Table of the House ;

(c) whether such instructions are applicable for recruitment toe the Police Department, if so, how their compliance is ensured ;

(d) the number of promotions made in the various selection grades/ranks in the Police Department district-wise together with the names amongst those belonging to Scheduled Castes ?

Shri Bansi Lal : (a) A statement is placed on the Table of the House.

(b) Yes. A copy is placed on the Table of the House.

In addition , in order to improve their ratio in the Police Foce, members of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes have been granted the following special concession for recruitment as Constables : -

(a) The prescribed physical standards as regards height and chest measurements were lowered in their cases by one inch (height from 5'-7' to 5'-6' and chest from 33" 34½" to 32"-33½").

(b) Literacy on their part was not to be insisted upon.

(c) Fifty (50) per cent vacancies in the rank of Constables were reserved for them, against the general reservation of 21 percent fixed on the basis of their population.

(c) Yes. Due Consideration is paid to this aspect and the provisions of the rules are relaxed in the case of Scheduled castes/Tirbes in order to bring their number to the required percentage of 20 reserved for them.

(d) No promotions are made in the selection grade at the district level as there are no selection grades sanctioned for Non-Gazetted Officers.

As regards promotion from rank to rank, only 9 A.S.I.'s of the Ambala Range who had done the Upper School Course at the P.T.C., Phillaur, were promoted as officiating S.I.'s since 1st January, 1969, but none of them belonged to Scheduled Castes/Tribes. No promotion in other ranks was made.

statement showing the total strength of Police Constables, Head Constables in the States

(a) (i)Total strength in the States : -

D.S.P's	P.I.'s	Insprs.	P.S.I.'s	S.Is.	A.S.I.'s	Head Const.	Cons-tables
30	11	52	62	261	445	1194	7289

(ii) Number of Scheduled Castes in the State :-

1	6	4	54	855

(iii) Number Scheduled Castes district-wise :-

Hissar	2		7	148
Rohtak	1	1	1	91
Arnal		1	3	90
Gurgaon	2	2	7	107
Ambala	1		5	197
Narnaul			1	37
Jind			2	48

Copy of letter No. 6872-4WGI-66/24917, dated the 23 August, 1966 from the Secretary to Government, Punjab, Scheduled Castes and Backward Classes Department to All Head of Departments, Registrar. Punjab High Court, Commissioners of Divisions. Deputy Commissioners, District and Session Judges and the Sub-Divisional Officers (Civil) in the Punjab, and others.

Subject :- Reservation for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in promotion cases.

I am directed to refer to Punjab Government instructions contained in circular letter No. 6486-5WGII-63/19193, dated the 12th September, 1963, supplemented by

letter Nos. 10181-4WGI-63/795, dated the 14th January, 1964, 21254-4WGI-64/5213,dated the 18th March, 1964, and No. 4917-4WGI-66/18026, dated the 21st June, 1966, on the subject noted above wherein decision of 10 percent reservation in promotional posts for the members of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, had been detailed.

2. Government have since been receiving references from several quarters seeking clarification on some basic points which cropped up as a result of actual implementation of the said policy. After careful consideration of the matter, the Government have decided to fall completely in line with the policy obtaining in Government of India. On the basis of policy of Government of India, the following decisions are laid down :-

(1) Class I and II appointment - (a) There will be no reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other Backward Classes in appointments made by promotion to a Class II or a higher service or post, whether on the basis of seniority-cum-fitness, selection or competitive examination limited to departmental candidates.

(b) In case of promotion made in or to Class I or Class II on the basis of seniority subject to fitness cases involving supersession of Scheduled Castes/Tirbe officers should be submitted for prior approval of the Minister concerned.

(2) Class III and Class IV appointments. – (a) In the case of Class III and Class IV appointments in grades or services to which there is no direct recruitment, there will be

reservation, at 20 percent for Scheduled Caste/Tribes and 2 percent for Backward Classes in promotions made by (1) Selection or (2) on the results of competitive examination limited to departmental candidates. Where, however, there is direct recruitment, the existing percentage of reservation at the time of recruitment will continue.

(b) Lists of Scheduled Castes/Tribes and Backward Class Official should be drawn up to fill the reserved vacancies. Official belonging to these classes will be adjusted separately and not along with other officials ; and if type are suitable for promotion, they should be included in the list irrespective of their merit as compared to that of other officials. Promotions against of their merit as compared to that of other officials. Promotions against reserved vacancies will, however, continue to be subject to the conditions of minimum necessary qualification and satisfactory record of service.

(c) Cases involving supersession of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes, will be reported within a month to the Minister concerned for information.

(3) Appointments to posts for conducting Research. – It is considered that in appointments for conducting research or organinsing, guiding and directing research, there may be a great deal of differences between the best person available and the one who only possesses the prescribed minimum qualifications. It is desirable to look for the persons with the highest talents and accomplishments rather than be content with those who may be just adequate. The number of such posts is not so large as to effect the interests of a considerable number of persons belonging to the Scheduled

Castes/ Tribes and Backward Classes. On the other hand, the nature of work, is such that if it do done conspiciusosly well, scientific progress and development of the country will be accelerated. It has, therefore, been decided that reservation both at the time of recruitment and at the time of promotions (20 per cent for Scheduled Castes/Tribes, 2 percent for Backward Classes) will not apply in the case of appointments to posts for conducting research of organising, guiding and directing research.

(4) Roser – (a) To give proper effect to the reservations prescribed every appointing authority will treat vacancies as reserved or unreserved according to model reoster laid down in the Punjab Government circular letter No. maintained in the form of running account year by ear. For example, if promotion in a year stops at point 6 of cylce, promotion in the following year will begin at point 7.

(b) if there are only two vacancies to be filled on a particular occasion , not mare than, one may be treated as reserved and if there be only on vacancy it should be treated as un-reserved. If on this account, a reserved point is treated as unreserved, the reservation may be carried forward to the subsequent two recruitment years.

3. The officials belonging to backward Classes will cease to be eligible for reservation in promotion when the annual income of their family exceeds the prescribed limit of Rs. 1000 (in case of Backward Classes determined on economic criterion) and Rs. 1800 in case of socially Backward Classes declared by Government.

4. The above decisions take effect from the date of issue of these orders. Promotion already made in accordance with the instruction-in-force prior to the issue of these order, will not be disturbed. The pending cases may be decided immediately in accordance with these instructions.

5. You are requested to bring the above decisions to the notice of all concerned.

The receipt of this communication may kindly be acknowledged.

Copy of letter No. 2480-SW & BC-67/22979, dated the 10th August, 1967, from the Secretary to Government, Haryana Social Welfare and Backward Classes Department, to All Heads of Departments etc.

Subjects :- Reservation for the members of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in promotion cases.

I am directed to refer to the erstwhile Punjab Government Scheduled Castes and Backward Classes Department Circular letter No. 6872-4WGI-66/20972, dated the 23rd August, 1966 on the subject noted above, and to say that the decision contained in subpara (2) of paragraph 2 thereof has been modified as follows to bring it strictly and conformity with the method and procedure being followed by the Government of India in the matter, subject of course to the

Higher percentage of reservation already being allowed in the Haryana State in the matter of recruitment : -

(2) Class III and Class IV appointments – (a) In the case of Class III and Class IV appointments in grades or services to which there is no direct recruitment whatever, there will be reservation of vacancies at 20 percent for Scheduled Castes/Tribes and 2 percent for Backward Classes in promotion made by (i) selection or (ii) on the results of competitive examination limit to departmental candidates.

(b) Lists of Scheduled Caste and Scheduled Tribe officials should be drawn up separately to fill the reserved vacancies at 20 percent for Scheduled Castes/Tribes and 2 percent for Backward Classes in promotion made by (i) selection or (ii) on the results of competitive examination limit to departmental candidates.

(b) Lists of Scheduled Caste and Scheduled Tribe officials should be drawn up separately to fill the reserved vacancies, officials belging to these classes will be adjusted separately and not along with other officials, and if they are suitable for promotion, they should be included in the list irrespective of their merit as compared to that to the other officials. Promotions against reserved vacancies will continue to be subject to the candidates satisfying the prescribed minimum standards.

(c) There will be no reservation in appointments made by promotion on the basis of seniority subject to fitness but cases involving supersession of Scheduled Castes and Scheduled Tribes official if any, will be reported within a

month to the Minister or Deputy Minister concerned for information.

2. You are requested to bring the above decision to the notice of all concerned for strict compliance.

3. The receipt of this communication may be acknowledged.

OFFICE OF THE INSPECTOR-GENERAL OF POLICE HARYANA

NO. 8184-8204/A, dated Chandigarh, the 11th September, 1967

A copy is forwarded to all Heads of Police Offices in Haryana, for information and necessary action.

(Sd.)

for Inspector-General of Police

Haryana

No. 8205/A dated the 11 September, 1967.

A copy is forwarded to Superintendent 'B' CPO Haryana for information and necessary action.

(Sd.)

for Inspector-General of Police

Haryana

Progress made in the field of Industries

***405. Shri Daya Kishan :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the progress made in the State in the field of industry since may, 1968'

(b) whether the Central Government has established any factory in the State during the period referred to in part (a) above ;

(c) whether the Government is aware of any proposal of the Central Government to start any factory in the State;

(d) whether there is any proposal under consideration of the Government to establish a tanning factory at Jind ;

(e) if so, the period within which it is likely to be materialised and the amount likely to be spent thereon ?

Shri Bansi Lal : (a) (i) Licenses/Letters of intent issue by Government of India for medium /large industrial projects 21

(ii) New industrial units registered in the small scale sector 426

(iii) New Schemes approved in the small scale sector 607

(iv) Loans sanctioned by the Haryana Financial Corporation

form may, 1968 to July, 1969 to 40 parties
Rs. 132 lacs

(v) Loans actually disbursed by the Haryana Financial

Corporation (including disbursal of loans sanctioned in

early ears also) to 66 parties
Rs. 142 lacs

(vi) Under-writing by the Haryana State Industrial

Development Corporation during the year 1968-69 Rs. 23,27,500

(vii) Loans sanctioned under the State Aid to Industries

Act during the year 1968-69
Rs. 29,99,150

(Viii) Amount of load provided in the current year's

budget R.s 23,00,000

(b) No.

(c) No. The Government of India, has,however, been approached to locate some of its public sector projects in Haryana.

(d) Yes

(e) An Application has been sent to Government of India for the grant of a license under the Industries Development and Regulation Act- about Rs. 170 lacs.

Educational qualification for making direct recruitment to different cadres of Haryana Civil Secretariat

***396. Shrimati Prasanni Devi :** Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the educational qualification prescribed for different cadres for making direct appointments to the various services of the Haryana Civil Secretariat;

(b) the date since when the said qualification have been prescribed;

(d) whether any changes were made in the said qualification; if so, the details thereof and the dates when such changes were made /

Shri Bansi lal :-

(a) & (b)

	Name of cadre post	Educational qualifications as prescribed originally	Date when this qualification was prescribed
(i)	Stenographer	Degree of a recognised University or its equivalent	7-1-52
(ii)	Clerk	Ditto	7-1-52
(iii)	Restorer	Matriculation Examination of a recognised University or its equivalent	7-1-52
(iv)	Class IV employees	Requisite knowledge of regional languages and of English as may be prescribed form time to time	23-5-63

(c) (i) yes

(ii)	Post	Change in qualification	Date
	Clerk	50 percent of those to be recruited as clerks should be Matric 1st Division /Intermediate 2nd Division	3-7-57
	Restorer	Working knowledge of English	6-7-68

and Hindi

Issuing of Order to all the High and Higher Secondary Schools regarding Text-Books

***452. Shri Mangal Sein :** Will the Chief minister be pleased to state –

(a) whether any order was issued by the Government in April, 1969, to all the High and Higher Secondary Schools that the old text books should not be taught; and

(b) whether it is a fact that the order referred to in part (A) above was withdrawn later on; if so, the reasons for issuing and withdrawing the said order ;

Shri Bansi Lal : (a) No.

(b) Does not arise

Haryana Dye and Chemical, Bhiwani

***441, Shri Roop Lal Mehta :** Will the Chief Minister be pleased to state whether any chemical quota has been allocated to a firm known as Haryana Dye and Chemical at Bhiwani ; if so, the names of the partners ?

Shri Bansi Lal : First part. - No.

Second Part. Does not arise

CALL ATTENTION NOTICES

Mr. Speaker : Call Attention Notice No. 2 given notice of by Shri Daya Krishan, regarding the anxiety and dissatisfaction as a result of statement made by the Chief Minister, Punjab concerning the non-supply of Ravi water to the State of Haryana , is admitted and the Minister concerned may make a statement.

Will the Hon. member please read out his Motion.

Shri Daya Krishan : I want to draw the attention of the Government to a matter of urgent public importance to the effect, that the Chief Minister Punjab has recently given a statement the Ravi water will not be given to Haryana. This statement has caused a great anxiety and dissatisfaction action in the matter and the House be informed of the steps taken so far and proposed to be taken in future, in this regard.

The policy of the Government with regard to Beas water and other connected matters may also be stated.

Minister for Irrigation and Power (Shri K.L. Poswal) : The Government is aware of the statement issued by the Chief Minister, Punjab, regarding Haryana's share in Ravi-Beas waters. This statement has already been contradicted by me. I would like to assure the Hon'ble member and the House that Government of Haryana is taking all necessary steps to ensure that the due share of Haryana is given to her on the completion of the Ravi-Beas Project. The matter is at present under the consideration of the Assets and Liabilities Committee setup by the Government of Haryana under the chairmanship of Ch. Ranbir Singh, M.L.A. We are also

discussing affairs with the Irrigation and Power Minister, Punjab on the 18th of August 1969 and with Dr. K.L. Rao, Union Minister for Irrigation and Power on 19th August , 1969. The policy of the Government of Haryana is entitled must be made available to Haryana. I would again like to reiterate and assure the House that every possible step is being taken to secure this en.

RAO BIRENDER SINGH : Sir this is a very insufficient information. this does not lead us anywhere.

Mr. Speaker : Let us know from the Hon. Member whether he is satisfied or not ?

Shri Daya Krishan : I am satisfied, Sir,

Rao Birender Singh : This a very important matter in which the State is interested. There is no policy of the Government is the statement; we find nothing in it. We don't know what is our share; what is our claim-even the Government does not know it so far. This all confusion.

Mr. Speaker : Call Attention notice No. 7 given notice of by Shri Mangal Sein, regarding tension created by the statement and letters written by the Chief Minister, Punjab, to Shri Y.B. Chavan, the Home Minister of India concerning Chandigarh, Bhakra and other matters, is admitted and the Minister concerned may make a statement.

Will the hon. Member please read out his motion ?

Shri Mangal Sein : Sardar Gurnam Singh, Chief Minister of Punjab has created tension by his statements and also by writing letters to Shri Chavan, the Home Minister of

India regarding Chandigarh, Bharka and other matters, which has a significant effect on the Haryana State. Through this motion, I want to draw the attention of Government to this matter and also want to know attitude of the Government is this connection.

Chief Minister (Shri Bansi Lal): We shall make the statement tomorrow.

MOTION UNDER RULE 30.

Chief Minister (Shri Bansi Lal) : Sir, I beg to move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 14th August, 1969.

Mr. Speaker : Motion move –

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business be transacted on Thursday, the 14th August, 1969.

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहिब, मेरी भी एक सबसटान्टिव मोशन थी उसका क्या हुआ ? वह अडमिट हो गयी या नहीं।

Mr. Speaker : I think you should have asked at right time.

महन्त गंगा सागर : स्पीकर साहिब मेरा माइक दूर है इसलिए आपको मेरी बात सुनाई नहीं दीं।

Mr. Speaker : Anyway something is being done. In fact that has been admitted.

Mr. Speaker : Question is :

That Rule 30 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Punjab Legislative Assembly be suspended and Government business the transacted on Thursday, the 14th August, 1969

The motion was carried.

Shri Mangal Sein : Sir this is a question of high-handedness.

स्पीकर साहब, एक सप्ताह के लिए सदन बैठ रहा था लेकिन अब कौन सा ऐस संकट आने वाला है जो ये इतनी ज़्यादा जल्दी कर रहे हैं। मेम्बरों को ट्रेज़री बेंचिज के सामने अपने चिार रखने का अवसर मिलना चाहिए। स्पीकर साहब जब से आप इस चेयर परविराजमान हुए हैं तक से ही ये आपके कारण, अर्थात् आपकी ममता और सहानुभूति का ये दुरूपयोग कर रहे हे। स्पीकर साहब, मैं तो यह समझता हूं कि आपको अपने आफिसे में ऐसी मोशन आने ही नहीं देनी चाहिए।

Mr. Speaker : Unfortunately I have passed onto the next item. How-ever the House is supreme and decides its own course of action.

Shri Mangal Sein : Sir, can't you do anything? You are the master of the House.

Mr. Speaker : I am the servant of the House.

Shri Mangal Sein : You are custodian of the House.

Mr. Speaker : Custodian of your privileges.

Shri Mangal Sein : Our privileges are being breached.

Mr. Speaker : But the House is the master. In any case Doctor Sahib you should have raised this question earlier. I am afraid the motion has already been carried. So nothing can be done now.

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहिब कुछ तो रहम कीजिए, डैमोक्रेटिक स्टेट है हमारी।

राव बीरेन्द्र सिंह : क्या कहा, यह डैमोक्रेटिक स्टेट है ?

श्री मंगल सैन : कहने को तो है।

श्री अध्यक्ष : आप फैसला कर लीजिए कि है या नहीं।

श्री मंगल सैन : स्पीकर साहब, उन दिनों को भी हमने देख है जब कि दो–दो महीनों के सैशन होते थे – लेकिन मैम्बर्ज़ के डैमोक्रेटिक राईट को कोई टच नहीं करता था।

श्री रूप लाल मेहता : यह जो बृहस्पतिवार का दिन है, यह गवर्नमेंट कार्यवाही के लिए नहीं लेना चाहिए। यह हमारे राइट का सवाल है।

Mr. Speaker : I appreciate, but the motion has been carried and nothing can be done no unless the House wants to change its own decision.

PAPERS LAID ON THE TABLE

Chief Minister : Sir, I beg to lay on the Table the Annual Report on the working of the Haryana Public Service Commission for the period from 1st April, 1967 to 31st Mart 1968, as required under Article 323 (2) of the Constitution.

SUPPLEMENTARY ESTIMATES, 1969-70

(i) Estimates of the Expenditure charged on the revenues of the State.

(ii) Discussion and Voting of the Demands for Supplementary Grants.

Finance Minister (Shrimati Om Prabha Jian) : I would suggest that all the Demand should be considered to have been read and moved.

Mr. Speaker : Those hon. Members who wish to discuss the charged item, may do so.

(no hon. Member rose to speak).

Mr. Speaker : According to the previous practice all the following Demands for Supplementary Grants will be

deemed to have been read and moved. The Members , while speaking will please indicate the Demand on which they are raising discussion. After applying guillotine, I shall put the Demands one by one to the vote of the House.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 22,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 11-Taxes on Vehicles.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 55,060 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 26-Miscellaneous Departments.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,19,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 30-Public Health.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 31-Agriculture.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 66,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 39-Miscellaneous, Social Developmental Organisations.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,57,,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 43 and 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-Commercial).

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 50-Public Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,80,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 57-Road and Water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 43,00,000 be granted to the Governor to defray the charges

that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 64-Famine Relief.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,50,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 65-Pension and other Retirement Benefits.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 70-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,05,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 71-Miscellaneous.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 31,12,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 103-Capital Outlay on Public Works.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of Loans and Advances by the State Government.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 125-Appropriation to the Contingency Fund.

(इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई)

श्री मंगल सैन (रोहतक) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपको पता है और मुझे भी पता है क्योंकि आपका और हमारा बड़ा पुराना साथ है। जब इस सदन में बजट प्रस्तुत हआ प्रोटेस्ट किया हुआ था और बाहर लाबीज में बैंठे हुए थे लेकिन उस वक्त पहिन जी खाली मैदान देख कर बजट पास करवा गई और अपनी पार्टी के सदस्यों से ताी पिटवा कर और वावाह करवा कर चली गई। आपने कहा, मेरा मतलब त्ति मन्त्री से है कि उन्होने कहा कि

हरियाणाा प्रेश में एक नए पसे का टैक्स नहीं लगाया गया और भी बड़ी बड़ी डींगे मारी। उसके बाद क्या हुआ डिप्टी स्पीकर साहिबा ? अभी ऐप्रोप्रिएशन बिल पर गवर्नर साहिब के हस्ताक्षर हुए ही थे कि बहिन जी ने आर्डिनेंस के ज़रिए प्रापर्टी टैक्स लगा दिया ।

वित्त मन्त्री : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डाक्टर साहब, हाउस को बिल्कुल रौंग इनफर्मेशन दे रहे हैं मैंने उस वक्त भी कहा था कि मैं यह टैक्स लगाऊंगी। (विघ्न)

श्री मंगल सैन : डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस समय इस बजट को रश थ्रू करके चले गए और 20 मिनट में 19 बिल पास करके चले गए और बाहर यह प्रचार किया गया कि हमने कितना बड़ा तीर मारा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उस दिन इनका ब्लड प्रैशर देखने वाला था।

वित्त मन्त्री : अच्छा।

श्री मंगल सैन : बहिन जी आपका क्या, आपके तो हसबेंड डाक्टर हैं, वे देख लेते हैं, मगर सरकार का ब्लड प्रैशर देखने वाला था– खैर डिप्टी स्पीकर साहिबा, आप ग़ौर फरमाएंगी कि हर बजट ऐस्टीमेट्स में देखा गया कि लिटीगेशन का उल्लेख ज़रूर होता है। हैडवार्डन डिस्ट्रिक्ट जेल, हिसार, के केस में गवर्नमेंट के ऊपर 6,440 की डिग्री हुई। जिसके लिए गवर्नमेंट कहती है कि हमें इस बात की इजाज़त दो कि हम हैडवार्डन को 6,440 रूपए दे दें। मैं जानना चाहता हूं कि उस हैड–वार्डन को

लिटीगेशन करने की नौबत क्यों आई ? इसके बाद आइ.जी., पुलिस, के दफ्तर में क्या हुआ उसकी तरफ भी मै। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :—

"Two Assistants working in the office of the Inspector-General, Police, Haryana, were reverted because they could not qualify in the Assistant's Grade Examination. They filed a Civil suit against this decision of the State Government in the Court of Senior Sub-Judge, Chandigarh The Court decided the cases in their favour on 29the February, 1968".

बहिन जी उस आई. जी. से पूछिए कि तुमने उन को मौका क्यों नहीं दिया और उनको क्यों अदालत के दरवाजे खटखटाने पड़े? मैं डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपके द्वारा सरकार की जवज्जुह इस ओर दिलाना चाहता हूं कि इस तरह से जनता का पैसा वेस्ट न किया जाए। कितने अफसोस की बात है कि असिस्टैन्ट ग्रेड के वे लोग जिन्हे आई.जी. इंसाफ नहीं दे सका, उन्हे कोर्ट में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप को जरूर आई.जी. का जवाब तलब करना चाहिए। आखिर उनको पैसा लगा, टाईम लगा, मेंटल टार्चरिंग हुई। इस सब चीज़ का जवाबदेह कौन है ? डिप्टी स्पीकर साहिब, इस प्रकार इन्होंने योजना बनाई मोरनी हिल्ज़ के विकास के बारे में बड़ी अच्छभ बात है कि हरियाणा में कोई हिल स्टेशन हो क्योंकि शिमला वगैरा तो ये बिना कुछ बोले हाथ से दे बैठे है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह कहेंगे कि उस वक्त विधान सभा नहीं थी लेकिन उस वक्त लोक सभा तो थी। वहां तो लोग मौजूद

थे, शायद चीफ मिनिस्टर साहब भी वहां उस वक्त थे—नहीं, मुझे याद आ गया वह हार चुके थे मगर उनके गुरू देव तो वहां थे, श्री नन्दा साहब। उस समय वह नहीं बोले इसलिए शिमला हाथ से चला गया। अब यह मोरनी हिल्ज़ का विकास कर रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है, उस के विकास के लिए सड़कों के लिए पैसा चाहिए। वहां आयुवैंदिक की डिस्पेंसरी बना रहे हैं और चौधरी रण सिंह का महकमा वहां बेल—बूटे भ्झी लगा रहा है डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसी सिलसिलें में इन्होंने एक ऐसे अफसर की नाकाबन्दी करने की कोशिश की जिनके साथ इसलिए नाराज़गी है कि उनका भाई कांग्रेस के साथ मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। इन्होंने कोशिश तो कि, लेकिन उस अफसर ने हाई कोर्ट से जा कर स्टे आर्डर ले लिया । तो मैं कहता हूं कि यह कोई अच्छी बात नहीं है।

कहां गए अब खुरशीद अहमद साहब इन्होने ऐलान किया था कि यह कांग्रेस सरकार बूढ़ो को पैन्शन देगी, मगर हालत यह है कि ये आज हम से मन्जूरी लेंगे, फिर काग़जात जायेंगे, एक मेज से दूसरी मेज़ पर और फिर कहीं 1970 में जा कर यह उनको कुछ देंगे। 80 साल के बूढ़े की हालत तो ऐसी समझभ जाती है कि न जाने वह कब चला लाए, वैसे तो जवान के लिए भी कोई पाबन्दी नहीं है लेकिन बूढ़े तो कहा जाता है कि जल्दी चले जायेंगे। इनका मनीआर्डर जोन तक चह चल बसे होंगे और फिर मनीआर्डर यूं का यूं लौट कर आ जाएगा। फिर डिप्टी

स्पीकर साहिबा, एक साहब मुझे कहने लगे कि श्री बंसी लाल जी ने आते ही ऐलान किया है और कुछ होया न हो, एम.एल.ए. का स्टेटस ऐसा रेज़ किया जाएगाा कि उनका सब सम्मान करेंगे। अच्छा है एम.एल.ए. की इज्ज़त होनी चाहिए। लेकिन अब तो डिपटी स्पीकर उस से बात नहीं करनी और इसके मुकाबलें में अगर ट्रेज़री बैचिज़ वाला कोई आए तो केवल उसका ही काम करना है या मुख्य मन्त्री साहब का आदमी हो तो उसका काम करना है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, उन्होंने कहा और हिदायत जारी कर रखी है कि अलीपुर रोड पर कैनाल रैस्ट हाउस में 8 आने देकर कांग्रेस का एम.एल.ए. तो ठहर सकता है

वित्त मन्त्री : कौन से रैस्ट–हाउस का आप ज़िक्र कर रहे हैं ?

श्री मंगल सैन : देखिए बहिन जी मैं आप का छोटा नहीं तो बराबर का भाई जरूर हूं। मैं प्वायंट यह डिवैल्प कर रहा था कि मैम्बर उस रैस्ट–हाउस में नहीं ठहर सकते, क्योंकि पार्लियामैंट्री सैक्रेट्रीज़ की फौज बन गई है। उन्होने वहां जा कर ठहरना होगा और मन्त्री तो है ही और जिन्होने आज वोट दिए है उन्होने भी यह आशा करके दिए है कि परसों को उनकी कारों पर भी झंडियां लग जायेंगी। तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, एम.एल.ए. उस रैस्ट–हाउस में नही ठहर सकते, इस लिए अब उन के लिए हरियाणा भवन बनाया जा रहा है। मैंने तो सोचा था कि शायद लोगों ने पैसे दिए होंगे और कोई भवन बन रहा होगा लेकिन यह

सरकारी पैसों से एम.एल.एज. के ठहरने के लिये भवन बन रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि एम.एल.एल को वहां रैस्ट–हाउस में ठहरने की अनुमति होगी कि नहीं ?

वित्त मन्त्री : जरूर होगी।

श्री मंगल सैन : मोरनी हिल्ज़ में भी रैस्ट–हाउस है बड़ी अच्छी बात है अगर सब को ठहरने की इजाज़त होगी तो ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं फैमिन रिलीफ के बारे में निवेदन करता हूं कि जहां से ट्रेजरी बैंचिंज़ वाले मैंम्बर कामयाब हो कर आए हैं वहां पर तो जहां जहां अकाल पड़ा है, लोगो को पैसे दिए गए है। लेकिन अपोज़िशन के मेम्बरीं के हल्को में किसी को कुछ नहीं दिया गया। इस में भी भेदभाव रखना कोई अच्छी बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जनता सक बी सांझी है इसलिए सब के साथ एक जैसा सलूक किया जाना चाहिए। आप बहिन जी डिप्टी स्पीकरर है। लोकतन्त्र में, आप उनके ही नहीं हैं हमारे भी हैं और वैसे खास हमारे हैं क्योंकि आप इधर बैठते हैं। हम बंसी लाल जी को नहीं चाहते कि वह मुख्य मन्त्री बने रहें लेकिन जो डियू रिगार्ड है हम उनका करते हैं हम उनका करते हैं उन्होने हिदायत कर रखी है कि जो कांग्रेस के चुने हुए मेम्बर है हम उनका करते हैं उन्होंने हिदायत कर रखी है कि जो कांग्रेस के चुने हुए मेम्बर है उनके हल्कों में लोगो को पैसे देने है और अपोज़ीशन वालों को नहीं देने । लेकिन अकाल तो हर तरफ है। इसलिए इन को यह गलत रवायात नहीं डालनी चाहिए। इसके अलावा जो और

छोटी मोटी बातें है जैसे लिंक रोडज़ बन रहीं हैं या कोई माईनर बन रही है उन सब कामों में एक जैसा सलूक होना चाहिए। डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह जो 1969 का वर्ष इससे एक सौ साल पहले पूज्य गांधी जी ने अवतार लिया था और इसी इसी वजह से ये इस साल उन की जन्म शताब्दी मानाने जा रहे है। पता नहीं आप को न्योता मिला है कि नहीं ? और इस लिए ये सब समितियों को ग्रांट–इन–एड दे रहे हैं और रूपये दे रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है बड़ा नेक ख्याल है महापुरूषो के जन्म दिवस तो मनाने ही चाहिएं ताकि उनसे प्रेरणा मिलती रहे। जीवन भर जिस काम कम`लए वे परिश्रम करते रहे और जिसके लिये वे जिये और मरे उनके अनुयायियों को उनके मुताबिक चलना चाहिए लेकिन लज्जा के मारे हमारा सिर झुक जाता है जब इन की करतूतें देखते हैं। रोहतक जाने के लिये हमें करनाल से हो कर जाना पड़ता है। बहिन ओम प्रभा जी का हल्का तो कैथल है लेकिन वह रहती देहली में है और रहे भी क्यों न, क्योंकि उनका सारा परिवार जो वहां रहता है लेकिन कैथल से करनाल के रास्ते से ही जाती होंगी। पहले वहां गोपीनाथ एण्ड सन्ज के यहां एक जगह शरब बिकती थी लेकिन इस साल इन्होने क्या कृपा की कि क्वालटी वालों को भी शराब का ठेका दे दिया है। पहले हम वहां कभी काफी का प्याला पीने चले जाते थे लेकिन अब वहां जाना हमारा बन्द हो गया। क्या बापू जी के समारो मनाने वाले ऐसे काम करके उनके अनुयायी होने का दावा कर सकते हैं ? बहिन जी तो इस बात को मानती होंगी लेकिन क्या करती, पोलिटिकल प्रैशर था।

पता नहीं किस एम.एल.ए. ने कहा हो। मगर मैं कहता हूं कि यह अन्याय है गांधी जी के साथ और उनके सिद्धान्तों के साथ। खैर शराब पीने और पिलाने की बात तो सैंशर मौशन पर ही करेंगे अब यही बस करता हूं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि गांधी जन्म शताब्दी मनाने के लिए एक समिति बनी थी और उसके पदाधिकारी कौन कौन है उसके बारे में में मैंने गज़ट नोटीफिकेशन पढ़ तो पता लगा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी तो उसके अध्यक्ष है और केंन्द्र में हमारे जो संचार मन्त्री है उनकी श्रीमती जी जो बड़ी सज्जन हैं विदूषी है, वह उसकी सचिव हैं। मैंने उनके दर्शन किया एम.एल.ए. होस्टल में, जब मेरी इलैक्शन पैटीशन चल रही थी। वहां उन्होने एक बड़ा विराट सम्मेलन किया, दरियां बिछिं, शमियाने लगे, लाउड स्पीकर लगे और एक बड़ा बोर्ड लगा हरियाण गांधी जन्मी–शताब्दी शिविर का। इतना बड़ा लाउलशकर देख कर हमने समझा कि पता नहीं कितना बड़ा सम्मेलने होने वाला है और पता नहीं कितने आदमी आने वाले। ? होस्टल में भी हमें कहा गया कि डाक्टर साहब जगह तो थोड़ी है क्योंकि यहां बड़ी भीड़ इक्ट्ठी होने वाली है। हमने भी सोचा कि चलो हमें किसी ने निमंत्रण तो नहीं दिया परन्तु बाहर बैठ कर ही राम धुन और प्रवचन सुन लेंगे। आप विश्वास माने उस विराट पंडाल में नकद 35 आदमी थे। मेरा सिर शर्म के मारे झुक गया कि जिस बापू जी को आज संसार पूजता है जिसके जीवन से प्रेरणा लेते हैं और जिसके नाम पर इन को गद्दियां मिली हुई हैं उसक जन्म शतब्दी समरोह में कुल 35 आदमी हों ? अगर मुख्य

मंत्री ने टूर करना हो तो पांच हजार आदमी इकट्ठे हो जायेंगे अपने काम कराने के लिये। एक बात मैं इन से और पूछना चाहता हूं कि क्या गांधी जी आप के ही हैं या और किसी के भी हो सकते है ?क्या आप ही गांधी जी के मात्र कस्टोडियन हैं और उन पर आप की ही मनौप्ली है ? अगर वह राष्ट्रपिता है तो उस राष्ट्र में वह लोग भी आते है जो कांग्रेस के चिार नहीं रखते । इन्दिरा जी और श्री अर्जुन अरोड़ा भी

वित्त मन्त्री : पंडित श्री राम शर्मा भी उस में हैं ?

श्री मंगल सैन : पंडित श्री राम शर्मा तो पुराने कांग्रेसी ठहरे। आज बदल गये वह आप के कामों को देखकर, क्योंकि इस में अब वह लोग आ गयो जो कांग्रेस के खिलाफ गवाहियां देते थे यह देख कर वह कांग्रेस छोड़ गये में कहना चाहता हूं कि आज जो पोलिटिकल पार्टीज काम करती हैं वह गांधी जी में इन से कम श्रद्धा नहीं रखती और अगर हम कहीं बीच में आ जाते तो क्या हम किसी को अगवा करके ले जाते। क्या बिगड़ जाता गांधी जी का हमारे बीच में आने से ? डिप्टी स्पीकर साहिबा, हमें गुप्ता जी की तरफ से उपदेश मिलते है कि हरियाणा पिछड़ा हुआ है नया नया मुख्य मंत्री बना है और अभी अभी उसका घर बनना शुरू हुआ है। मैं कहता हूं कि विकास के कामों में आपका साथ कैसे दें जब आप नान–कन्ट्रोवर्शियल इशूज में भी हमें साथ नहीं लेते। कोई अच्छी रवायतें बनाओ। ठीक है हम से आप के राजनीतिक मद–भेद हैं और भी कोई शिकायत होगी लेकिन जहां तक अच्छी

बातें है उन्हे हम जरूर कहना चाहते है। हम यह नहीं कहते कि उस समिति में जा कर हमारी कोई शोहरत बढ़ जायेगी लेकिन यह अच्छा होता यदि उस समिति में राव साहिब जो हमारे लीडर आफ दी अपोज़िशन है वे होते, चांद राम जी होते जो गरीबों के हमदर्द है तथा और भी पोलिटिकल पार्टी के लोग होते और सब मिल कर उस महा पुरूष का नाम लेते, परन्तु किसी को एसोशिएट नहीं किया गया। आज किस मुंह से कहते हो कि गांधी शताब्दी के लिये रूपया मंजूर कर दो। मैं कहता हूं कि यह सारा रूपया वेस्ट जायेगा। फिर देंखे कितनी शर्म की बात है कि जिलों में कमेटियों के चेयरमैन डी.सीज़ होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि यह हरियाणा के अवाम की बेइज्ज़ती है कि सरकारी कर्मचारी तो इस काम के लिये योग्य हैं लेकिन जनता के नुमाइंदे इस काम के योग्य नहीं है। हमें न रखते, कोई काग्रेसी तो हो सकता था लेकिन मेरी समझ में नही आता कि डी.सी. क्यों हो। इसका मतलब है कि इनका जनता पर विश्वास नहीं और जनता के कार्यकर्ताओं पर विश्वास नहीं आप यह बात सम लें कि अगर सरकार आपके हाथों में न हो तो लोग आपके पास न आयें, डी. आई.जी., सी.आई.डी. केइन्सपैक्टर और एस.एच.ओ. झूठे मुकदमें बनाने वाले न हों। फिर क्या यह टिक सकेंगे ? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं वित्त मंत्री महोदया से कहना चाहता हूं कि उनको विचार करना चाहिये और इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठना चाहिये। इनका ही भला होता अगर हम इन के मंडप में जाकर गांधी जी की प्रशंसा कर आते और यह इनके ही एक हक की बात

थी। नहीं रखा तो हमें जरूरी नहीं कि जरूर जाना चाहिए वहां। मैंने यह आइटम यहां आकर ही देखा । तो लंगर लंगोटे कसे थे नो–कान्फीडेंस मोशन के लिये

वित्त मन्त्री : उसमें तो आप रह गये, फेल हो गये।

श्री मंगल सैन : कोई बात नहीं आज नहीं तो कल सही। अब मैं और छोटी मोटी बातें छोड़ता हुआ अपनी बात समाप्त करता हूं और यह कहता हूं कि यह पैसा इनको नहीं देना चाहिए।

मेजर अमीर सिंह चौधरी (बाढड़ा) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, पिछले साल भी मुझे सप्लीमेंटरी एस्टीमेटस पर बोलने का मौका मिला था और मैंने उस पर कुछ टीका–टिप्पणी की थी और जैन साहिबा ने जवाब देते वक्त मेरी दलील को यह कह कर रद्द कर दिया कि यह डिवैल्पिंग स्टेट है इसलिये इस के अन्दर ऐसा चार्चा लाना ही पड़ता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ हद होनी चाहिये। मैं जानता हूं कि हमारे फायनेन्स वाले इस को अपेज़ भी करते होंगे लेकिन ढंग ऐसा बना हूंआ है कि वह कुछ कर नहीं पाते। महसूस तो वह (ट्रेजरी बैंचिज वाले) भी करते हैं जो मैं करता हूं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं सकते। आज यह नहर बनाने जा रहे हैं। मुझे खुशी है कि ऐसे इलाकों में नहर ऐक्सटैंड की जा रही है जिसमें किसी को एतराज नहीं हो सकता, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि उन नहरों को जो चौधरी छोटू राम

के ज़माने में बीनी थीं आज ही उन को ऐक्सटैंड करने की क्यों जरूरत पड़ी, पहले क्यों नहीं पड़ी ? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज भी आप को समझ आ गई यह एक्सटैंशन बहुत जरूरी थी क्योंकि इसमें लोगों की भलाई की बात है। इसमें और पैसे की कमी होती तो हम और ज्यादा देने के लिये तैयार होते। सप्लीमेंटरी बजट लाने की बजाये सालाना बजट जिस वक्त पास होता है उस मैं सोचा जा सकता था। यह कोई वहजह हनी है कि बाद में ख्याल आया है इलसिये सम्लीमेंटरी डिमांड के रूप में ले आये हैं। पता नहीं मिनिस्टरी खत्म होने का ख्याल आ गया जि के डर से ये डिमांड पोश की है। सप्लीमेंटरी डिमांड्ज़ में वही खर्चा आना चाहिए जिसको आप सलाना बजट में फोर–सी न कर सकें, लेकिन यह तो पहले से ही मालूम होता है कि फलां फलां जगह सड़कें कम है इसलिये बनाई जाएं। जिस खर्च को हम फोर–सी नहीं कर सकते उन में डिगरियां होती हैं, कीहं फ्लड आ गया, कीं फैमिन पड़ गया, चे चीजें आती है लेकिन सड़के नहीं आती।

मुख्य मन्त्री : मेजर साहब, झोझू की सड़क कैसे बनी ?

मेजर अमीर सिंह चौधरी : यह तो मैं एतराज नहीं करता कि सड़क न बतायें, मैं तो आप को कुछ सुझाव दूंगा कि इन चीजों को बजट बनाने से पहले देख लेना चाहिये और प्लान में रख लेने के बाद प्रोग्राम के मुताबिक चलना चाहिये।

मैडम डिप्टी स्पकीर साहिबा, इसमें एक आईटम है डिक्रिटल अमाउटं की। ये कुछ ऐसे केसिज़ होते हैं जिनकी पूरे तौर पर छानबीन नहीं होती, गवर्नमैंट की तरफ से केस की पैरवी ही नहीं की जाती। छानबीन करके देखा जाये कि जो केस ठीक तरह से प्लीड नहीं किया गया उसके लिये जिम्मेदार आफिसर या आफिशियल्ज़ को पकड़ा जाये ताकि डिक्रिटल अमाउंट की तादाद घट सके। कई चीजें यानी कई केस ऐसे है जो कि ज्वायंट पंजाब के टाईम के हैं और अब यहां आ रहे हैं। एक शूगर फैक्ट्री के कर्मचारी है वे भी इसके अन्दर आ गये।

इस जनरल अबज़र्वेशन के बाद डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं अब कहत के मुताल्लिक अर्ज़ करूंगा। बहिन जी ने कहत के लिये रूपया मांगा है, मुझे बड़ी खुशी है कि वे कहतज़दा इलाके के लिये कुछ न कुछ करने जा रहे हैं। जो कुछ इस के बारे में किया जा चुका है उसके लिये मैं ज्यादा कड़े शब्द नहीं कहूंगा लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि जितना रूपया कहत के लिये मिलता है वह ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं होता । आप मुझे बताये कि हरएक ज़िे जितना रूपया आपने लोगों को रिलीफ के लिये दिया है, वह फी आदमी कितना खर्च किया है ?

मैं यह भी जानना चाहूंगा कि जानवरों की सहायता के लिये फी जानवर कितना चारा दिया है। अगर आप इस की डिटेल में जायेंगी तो मेरा ख्याल है कि एक क्विंटल फी जानवर के लिये भी चारा नहीं आयेगा। जहां इस किस्म की चीज़े हो, वहां सड़को

को बनाने से कोई फायदा नहीं है, वहां तो जानवरो की जिन्दगी बचाने का सवाल है। सड़को के लिये तो एक दो साल तक इन्तजार किया जा सकता है लेकिन जो कैटल वैल्थ है उसका खास तौर पर ध्यान रखना चाहिये। यह देख कर बड़ा ताज्जुब होता है कि जिन सड़को के बनाने का ज़िक्र ये करते है उनका हमें पता ही नहीं कि कहां बनाई जा रही हैं। उन सड़कों को बनाने से पहले किसी से कोई सलाह मशवरा नहीं किया जाता। आप हिसाब लगा कर देखें कि किस किस एरियाज़ में फैमिन इफैक्टिड आदमी है और उन आदमियों के लिये कितनी कितनी वड़के दी गई हैं ? सड़के कहीं नहीं बनी है लेकिन कहते है कि सड़के दे दी गई हैं। यह ठीक है कि हम अपना वक्त निकाल लेंगे लेकिन यह वक्त हमें भूलेगा नहीं और न ही वोटे देने वालों को भूलेगा। अगर आप चाहते है कि इस तरह से आप मोहेन्द्रगढ़, झज्जर और भिवानी पर हम अपना कबजा कर लेंगे और जनता कांग्रेस को वोट दे, देगी, तो यह ना–मुमकिन है। लोग इस तरह से वोट नहीं देंगे, एक आध अगर होगी भी, वह भी छिन जायेगी। जब तक आप पूरा ध्यान नहीं देंगे सूबे की भलाई नहीं होगी। उपाध्यक्ष माहेदया, जो सड़के बन रहे हैं उनके बनाने के लिये सड़को का फैमिन रिलीफ डिवीज़न बना दिया गया है मैं पूछता हूं किस चीज़ के लिये यह डिवीज़न बनया है ? मैं तो कुछ समझ नहीं पाया, मेरा ख्याल है कि कुछ अफसरों को एक्स. ई. एन. की तरक्की और कुछ को एस.डी.ओज॰ का रोजगार दिलाने के लिये ही यह डिवीज़न बनाया गया है। आप इस को एग्ज़ामिन करें। एक

एस्स॰ई॰एन॰ हिसार में बैठा है और सड़के बना रहा है दादरी में। क्यों नहीं दादरी के एक्स॰ई॰एन॰ को यह एडीशनल काम दे दिया जाता जैसे कि डिप्टी कमिश्नर कहत का एडीशनल काम करते है। असल में यह रूपय ठीक से खर्च नहीं होता, दूसरे ही लोग खते है। गरीबों तक यह रूपये पहुंच ही नहीं पाता जो फैमिन रिलीफ के अन्दर प्रोवाईड किया हुआ है। अगर आप एग्जामिन करें तो आप को लोमड़ी से उसकी पूंछ भारी मिलेगी। महेन्द्रगढ़ ज़िलें की ज़िला परिषद् का रोड रोलर किराया पर लिया था परन्तु पता नही कहां किस ज़िले में चला गया, कम से कम महेन्द्रगढ़ ज़िले का रोड रोलर तो महेन्द्रगढ़ में ही रहना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदया, आपकी मारफत मैं चोधरी रण सिंह का ध्यान इस तरफ दिलाना चाहूंगा क्योंकि वे खुद हमारी तरह से कुचले हुए पिछड़े वर्ग से सम्बन्ध रखते है। मैडम डिप्टी स्पीकर साहिबा, आपने अखबारों में सरदार बलवन्त सिंह, फूड मिनिस्टर, पंजाब का बयान पढ़ होगा। उन्होंने कहा है कि उन के वहां तूड़ी बहुत पड़ी है, एक रूपये या डेढ़ रूपये किवंटल बिकती है परन्तु कोई उठाने वाला नहीं है। मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि क्यों उसे खरीद नहीं लिया जाता ? हमारे यहां तो तूड़ी 20 रूपये, 25 रूपये क्विटल तक नहीं मिलती। पिछले दिनों 25 रूपये किंव्टल तक तूड़ी बिकी है। अगर हमारे यहां कमी है तो पड़ोसी राज्य से मंगवा ली जाये क्योंकि वहां तो एक रूपया या डेड़ रूपया क्विंटल बिक रही है, लेकिन इस बात का किसी ने इनीशिएटिव नही

लिया। आप देखें कि ऊंटो के लिये कोई फैडर नहीं हैं मैंने किसी एक बड़े अफसर से पूछा कि ऊटों के लिये आपने क्या प्रबन्ध किया है ? उसने पूछा कि क्या ऊंट तूड़ी नहीं खाते ? अफसोस है, बड़े अफसरों की इतनी काबलियत तो होनी ही चाहिये कि उसे पता नहीं होता कि ऊंट क्या खाता है ? हमारे यहां महेन्द्रगढ़ मे कुछ अर्सा दो बंगाली अफसर लगे थे जिन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था, though they took some time to acclimatise theselves and know the people of the area लेकिन अक्सर ऐसे ही लोग आते हैं जिन्हे कुछ पता ही नहीं होता । इसलिये मैं रिक्वैस्ट करूंगा कि कम से कम मुसीबत के समय आप इस किस्म के अफसर लगायें जो आम बातों को जानते हो कि ऊट क्या खाता है, बैल क्या खाता है, भैस क्या खाती है ? अगर उन्हे बेसिक चीजों का पता नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा ?

उपाध्यक्ष महोदया, डिमांड॰ नं॰ 32 के अन्दर ट्रांसपोर्ट के लिये रूपया मांगा गया है। ट्रांसपोर्ट वाले मुझ से कहने लगे कि तुम हमारे ऊपर ही निगाह रखते हो। मैंने कहा कि हरियाणा के पास रिसोर्सिज़ बहुत कम हैं, मुझे ट्रांसपोर्ट से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि अगर हम ट्रांसपोर्ट के महकमें को अच्छी तरह से हारनैस करेंगे तो यह आमदनी देगा।

उपाध्यक्षा : आप कितना वक्त और लेंगे ?

मेजर अमीर सिंह चौधरी : आप फरमायें, आप कितना वक्त दे सकती हैं ? मुझे तो जब हुक्म देंगी मैं बैठ जाऊंगा। मैंने तो हुक्म की तामील करनी है।

उपाध्यक्षा : पांच मिनट

मेजर अमीर सिंह चौधरी : उपाध्यक्ष महोदया ट्रांसपोर्ट के मुताल्लिक मैं बार बार अर्ज़ कर रहा हूं कि इसकी को–आर्डिनेशन होनी चाहिये। इसके मुताल्लिक कोई प्लान्ड प्रोग्राम होना चाहिये। आगे आगे करनाल की गाड़ी चलती है, पीछे पीछे नारनौल वाली गाड़ी चल रही होती है । दस एक मैं बैठे होते हैं, पन्द्रह दूसरी में। करनाल से सम्बन्धित जनरल मैनेजर चाहता है कि मेरे डिपो की आमदनी ज्यादा हो, चंडीगढ़ वाला चाहता है हमारी आमदनी हो। दोनों का मुकाबला चलता है। मेरी समझा में नहीं आता कि इस किस्म की बात क्यों हो ? दोनों गाड़ियां सवर्नमेंट की हैं। एक गाड़ी से काम चल सकता है तो दो क्यों चलाते हैं ? और लीजिये चंडीगढ़ से नारनौल जितना सम्बा रास्ता है उतना और कोई रास्ता हरियाणा राज्य में नहीं है। दस–बारह घंटे लगते हैं। मैरिट्स के ऊपर होना चाहिये शाटैस्ट रूट बरास्ता गोहाना लेकिन हमें ये ले जाते है सांपले बांपले वग़ेरा से, सारे हरियाणा का दर्शन कराते हुए और इसी कारण से लोगों ने इस बस का नाम हरियाणा दर्पण बस रखा हुआ हैइस तरफ तनी दफा नवज्जुह दिला चुका हूं। कोई सुनता नहीं एक दफा गलत रास्तों से अगर चालू हो गई तो क्या यह

बदली नहीं सकती ? और लीजिये अंग्रेजों के समय में दादरी से दिल्ली को डेढ़ बय चला करती थी, वहीं आज चल रही है झझर से दिल्ली को बहुत सी बसें चलती हैं। मैं पूछता हूं कि इन में से ई किसी का रूट बढ़क्यों नहीं लेते ? प्राइवेट ओपरेटर्ज़ को यह रूट क्यों दे रखा है ? आपकी बसें तो चलती हैं घाटे वाले रूट्स के ऊपर और प्राइवेट वालों की बढ़िया रास्तों के ऊपर चलती है। ज्यादा नहीं तो कम से कम 50 फीसदी अच्छे रास्ते तो ले लो। हम शोर मचाते हैं तो कुछ इनिशिएटिव ले लेते हैं मगर आगे जाकर पैसे वाला सवाल हो जाता है और मामला फिस हो जाता है। हमें बताया जाता है कि दिल्ली की सरकार नहीं मानती मैं कहता हूं कि दिल्ली वाले जरूर मानेंगे। दिल्ली को उनका हिस्सा और माइलेज दिया जाए तो क्यों नहीं मानेंगे ? अगर न माने तो दिल्ली को जो झज्जर से चार बसें चलती है उनको एक्सटैंड कर लो दादरी तक । (विघ्न) उनको एक्सटैंड क्यों नही कर सकते वह तो आपकी पावर में हैं। जब तक, डिप्टी स्पीकर साहिबा, घपलाबाजी नहीं हटायेंगे ट्रांसपोर्ट के महकमें से डीटैच्ड व्यू लेकर तब तक इसका भला नहीं होने वाला है। चीफ मिनिस्टर साहब ने एक बार यह कहा था कि ट्रांसपोर्ट के महकमे को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं। मगर हमें आज तक नहीं चला कि क्या कर गये या करने वाले हैं। यह आमदनी का ज़रिया है। इस आमदनी को टैप कीजिये और टैप करने के बाद ज्यादा भी खर्चा करते चले तो कोई बात नहीं। अगर आमदनी नहीं होगी तो कितनी देर तक काम चलेगा ? मैडम, डिप्टी स्पीकर एक और चीज़ की ओर लवज्जुह दिला कर बैठ

जाऊंगा। मैं हुक्म का ताबेदार रहूंगा। आपके साथ मेरे लम्बे तालूकात है। मैं आपको ज़रा–सी भी तकलीफ नहीं देना चाहता।

पिछली दफा मुझे ब्यास प्रोजैक्ट पर जाने का मौका मिला और मुझे खुशी हुई जब उन इंजीनियर्ज़ ने, जो पंजाब को अलौट कर रखें है, मुझे बताया कि आपके हरियाणा के इंजीनियर्ज़ ने बहुत बढ़िया काम किया है। चौधरी रणबीर सिंह भी मेरे साथ थे। इरीगेशन और पावर के लोगों के साथ मेरा लम्बा सम्बन्ध है। मुझे अपने इंजीनियर्ज़ के काम की सराहना सुन कर बड़ी खुशी हुई थी। चौधरी रणबीर सिंह जी को भी बड़ी खुशी हुई थी क्योंकि इस मामले में वे भी मेरे जैसे ही खयल रखते हैं। हमने देखा कि काफी काम इस प्रोजैक्ट पर इन्होंने किया है लेकिन दूसरी तरफ हमें बड़ा दुःख हुआ जब उन्होंने बताया कि हमारे असिस्टैण्ट और एग्जैक्टिव इंजीनियर्ज़ को थोड़ी तनख्वाह मिलती है और पजाब वालो को ज्यादा।

वित्त मन्त्री : बराबर है जी।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा से पूछना चाहता हूं कि क्यों नही उनको उनका वाजिब पैसा दिया जाता जब कि ये इतना रूपय हमारे से बयास प्रोजैक्ट के लिये लेने जा रही है और पीछे भी हम से काफी रूपया लिया है। बड़ी खुशी के साथ आप रूपया लो मगर जो रूपया वहां जाना है उसमें से हमारे जो कर्मचारी है उनको भी

तो उसका जांज़ हिस्सा मिलना चाहिए। वह क्या बात हुई कि हम तो पैसे बराबर के दें मगर हमारे इंजिीनियर्ज़ को कम पैसे मिलें और पंजाब वालों को ज्यादा मिलें ?मैंने फाईनेंस वालों से पूछा था कि जो रूपया हम देते है उसका वाजिब शेयरहोल्डर वे हमारे कर्मचारियों को क्यों नहीं बनाते ? क्या कारण है कि हमारे ग्रेड वहां थोड़े हैं ? उन्होनें बताया कि वहां ग्रेड इसलिये थोड़े हैं कि यदि हमने उनके ग्रेड बढ़ा दिये तो यहां पर जो इंजीनियर्ज़ है वे ज्यादा सक्रेल मांगने लग जांयेगे। मुझे यह वजनदार रीजनिंग मालूम नहीं पड़ी। इसलिये इस की तरफ मैं सरकार की तवज्जुह दिलाना चाहता हूं। वे कर्मचारी बढ़िया काम कर रहे है। वे काम करने में पंजाब वालों से आगे है। इस में एक कौड़ी की फाईनेशल इमप्लीकेशन नहीं। इसलिये मैं नहीं समझता कि हमारे इंजीनियर्ज़ को, जितनी देर तक वे वहां हैं, क्यों न पंजाब के इंजीनियर्ज़ के बराबर पैसे मिलें ? (विघ्न) कहते है कि वहां से जब वे वापिस आएंगे तो वही ग्रेड मांगेंगे। मैं कहता हूं कि वे चारे नहीं, डाकू नहीं कि ऐसे ही पैसा ले लेंगे। जब हम गजट में नोटिफिकेशन ही यह करेंगे कि जितनी देर वे वहां ब्यास प्रोजैक्ट पर रहेंगे उन्हे वही पे–सकेल मिलेंगे जो पंजाब वालों को मिलते हैं तो फिर ज्यादा कम मांगने का सवाल कहां पैदा होगा ? ब्यास प्रोजैक्ट के ऊपर तो उपाध्यक्ष महोदया, कोई जाना नहीं चाहता। अगर आज औप्शन दे दी जाए, यह कहकर कि ब्यास प्रोजैक्ट पर जो जाना चाहे उसे सौ रूपया ज्यादा मिलेगा तो मैं कहता हूं कि लोग चंडीगढ़ में कमती पैसे लेकर रहना कबूल कर लेंगे मगर

ब्यास प्रोजैक्ट पर कोई नहीं जाना चाहेगा। वहां तो इस तरह का काम है जिस तरह हम एकटिव सर्विस के ऊपर जाया करते थे या आजकल फौजी लोग जाते है। अगर फौजियों से पूछा जाए तो सब अम्बाला रहना चाहेंगे और नेफा और लद्दाचा में कोई जाना चाहेगा मगर इस तरह से काम नहीं चलता । डयूटी के ऊपर जाना पड़ता है, मगर गवर्नमेंट को भी इन बातों को ध्यान में रखना चाहिये। मिल्टरी में एकटिव सर्विस के ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत से प्रिवलेजिज़ मिलते है। जैसे फ्री राशन मिलता है, बढ़िया कपड़े मिलते है और बहुत सी दूसरी सहूलियतें मिलती है। प्रोजैक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है यह भी एक एकटिव सर्विस जैसा है। इसलिये मै। चाहता हूं कि गवर्नमेंट आज ही यह डिसीजन अनाउंस कर दे कि हम अपने इंजीनियर्ज को पंजाब वालों के बराबर देने को तैयार है।

वित्त मन्त्री : मेजर साहिब, एग्जैकटिव इंजीनियर्ज़ और एस॰डी॰ओज॰ को पंजाब के बराबर वेतन मिलता है।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : मुझे खुशी है अगर यह मिलता है। अगर आपकी तरफ से यह एशोरेंस है तो मैं स्वीकार करता हूं, मगर मुझे तो फाइनेंस वालों ने यह बताया था।

वित्त मन्त्री : जो हमने बाद में नोटिफिकेशन निकाली थी उसमें किया है।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : अगर आप मेरी बातों से कायल हो गए हैं और जवज्जुह दे लेंगे तब तो ठीक लकिन अगर नहीं तो फिर आप मुझे बुला लें, मै उनकी वकालत करूंगा। चौधरी रणबीर सिंह जी भी, मैं समझता हूं, वकालत करने के लिये तैयार होंगे। हम दानों असैट्स कमेटी के मैम्बर हैं। हम वकालत करने के लिये तैयार है।

उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। रह तो गई मेरी और बातें भी लेकिन कोसने वाली बातें करने का काम मेरे दूसरे साथियों ने काफी निभा दिया हैं मैं उस के मुताल्लिक कुछ अर्ज़ नहीं करूंगा। मेरे बंसी लाल जी से इस किस्म के सम्बन्ध है कि अगर मैं कुछ कहूं तो मेरे ऊपर खुद छींटे पड़ेंगे। उन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मै। कुछ नहीं कहता। कल मेरे मोहतरिमसाथी खान साहब कह रहे थे कि वे मेरे खिलाफ प्रिविलेज मोशन लायेंगे। वह भी मुझे खतरा है कि कहीं वे मोशन ले ही न आएं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा की तवज्जुह दिलाऊंगा कि जो कुछ मैंने कहा है उस में यदि आप को वजन मालूम होता हो तो उसके जरूर स्वीकार किजिये, और यदि बेकार नज़र आता हो तो छोड़ दीजिये।

वित्त मन्त्री : नहीं आपकी बातें बड़ी रचनात्क हैं।

मेजर अमीर सिंह चौधरी : लेकिन इन पर तवज्जुह जरूर दीजिये। इन शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदया, मैं आप का धन्यवाद करता हूं।

Deputy Speaker : I call upon Chaudhri Ranbir Singh to speak. Since guillotine is to be applied at 6.00 P.M. he may speak for 15 minutes.

चौधरी रणबीर सिंह (किलोई) : उपाध्यक्ष महोदया, डिमाण्डज़ तम्बरज़ 11 और 19 के अन्दर जिन रकमों का ज़िक्र किया गया है वे रकमें हम डिग्री के तौर पर दे रहे है। यह रकमें हम 1 नवम्बर, 1966 से पहले का जो अर्सा है, उसके लिये दे रहे हैं। उपाध्यक्ष माहेदया, री–आर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत यह जिम्मेदारी पंजाब सरकार की है। अगर केस से यह साबित हो जाये कि इसमें कुछ हिस्सा हरियाणा का भी बनता है तो वे हरियाणा से ले सकते है। लेकिन पहले पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है मेरी समझ में नहीं आया कि हमारे खज़ाने से उन को यह रकमें कैसे दे दी गयी ? अगर 1 नवम्बर, 1966 के बाद को कोई अर्सा है और इस अर्सो की कोई डिग्री की रकम या अमाउन्ट है, वह भी उन कर्मचारियों का एलोकेट हुए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी जरूर हैं 31 अक्तूबर, 1966 के पहले जो पैसा देना है वह पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है। जो पंजाब और हरियाणा सरकार के इकट्ठे हिस्सा खाते में अमाउन्ट आये, उस को आबादी के लिहाज से बांट लिया जायें। इस हिसाब से हमारे हिस्से में बहुत कम पैसा आयेगा कई भाई यह कह सकते है कि इस तरह

का अमाउन्ट उधर ज्यादा हो सकता है। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि कई एक केसिज़ में डिक्रिटल अमाउन्ट ही नह हों। फिर इस डिक्रिटल अमाउन्ट का हम ही घटा क्यों बरदाशत करें ? अगर उस वक्त कसूर था या कोई कमी थी तो वह संझे पंजाब सरकार की थी । इस तरह के केसिज़ में सांझे पंजाब की सरकार घाटे और नफे की जिम्मेदार थी। इसलिये पहले पंजाब के ऊपर यह जिम्मेदारी हैं और बाद में जितना हिस्सा हमारा हो, हम से ले और जो हिमाचल प्रदेश को हो, वह उनको देना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदया, इसी प्रकार से डिमाण्ड नंबर 19 में केन सुपरवाइज़र या केन वार्डन का जिक्र है । उनको भी इस तरह से पैसा दिया गया, जो कि हमारी सरकार को नहीं देना चाहिये था।

अब मैं डिमान्ड नंबर 38 के विषयमें क्र करना चाहता हूं। डिमांड नंबर 38 के अन्दर एक लाख सत्तर हज़ार रूपया हमने विदेशी गाड़ियों को खरीदने के लिये दिया है। उन गाड़ियों के विषय में ज़िक्र किया गया है कि वे गाड़ियों टूरिस्ट डिपार्टमट के लिए चाहिए। यह मेरी समझ में नहीं आया कि इतने छोटे प्रदेश के लिये विदेशी गाड़ियों की क्या आवश्यकता है ? जो हिन्दुस्तान में गाड़ियां बनती हैं वे भी हम टूरिस्ट को दे सकते है इसके अलावा प्रश्न यह है कि आया वे गाड़ियां टूरिस्टों के लिये ही चाहिएं या हिन्ही और भाइयों के लिये चाहिएं? अगर वे औरें के लिये है तो वे टूरिस्ट डिपार्टमट के खाते में नहीं जानी चाहिएं। हम को यह

बात सही सही बतानी चाहिए। अगर वे गाड़ियों टूरिस्टों को ही देनी हैं तो हमारे देश में बनी हुई गाड़ियां भी अनाके दी जा सकती है। इसलिये इन बातों के बारे में जानकारी चाहता हूं

इसके अलावा अपाध्यक्ष होमदया, डिमांड नंबर 46 के अन्दर जो जिक्र किया गया है उसके अन्दर मैंने देखा है कि पहले जिस जिले में से, लेक–कार्य विभाग के मन्त्री थे उस जिले को ज़िक्र हैं जहां के आज है उनका भी है, मुख्य मंत्री के ज़िलें का भी है और महेन्द्रगढ़ जिले का भी ज़िक्र है परन्तु हमारे रोहतक ज़िले का कोई जिक्र नहीं हैं। पता नहीं एस्टीमेट कमेटी के चेयरमेन का लिहाज किया गया है। मैं तो पब्लिक अकाउंटस कमेटी को पगड़ी उछालने वाली कमेटी कहा करता हूं । उसका न चेयरमैन न रोहतक का है और न ही उन के अम्बाले ज़िले का उसमें कोई जिक्र ही किया गया है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं जानता हूं अपने हल्के से और दूसरे पड़ोसी हल्को से कि जो सड़के मन्जूर थी, जिनकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रवूल हल्के से और दूसरे दी जा चुकी थी, पैसा उनके लिये रखा जा चुका था लेकिन उनके काम को रोक दिया गया यह कौन सा काम करने का तरीका है ? इसके अलावा दो ढ़ाई लाख रूपया मेरे हल्के के अन्दर सड़के बनाने के लिये लोगों की तरफ से सरकार के खजाने में, अर्थात् पी॰डबल्यू॰डी॰ डिपार्टमट के खाते में जमा करा दिया गया हुआ है लेकिन वहां फिर भी कोई काम नहीं हो रहा है। इसी तरह से शूगर–कैन सैस फंड के पैसे से रोहतक शुगर फैक्टरी के लिये

सड़क मंजूर हूई थी। उस पर अभी तक कोई काम चालू नहीं कियचा गया । एक दफा तो यह सुना गया कि टैंडर मांगे गयो है, फिर जब पता किया तो पता चला कि वह सड़क नामन्जूर है। अब फिर पता लगा है कि वह मन्जूर हो गयी है। वह सड़क इसलिये मन्जूर की गयी थी कि जो मिल में गन्ने आता है वह उस का किराया फैक्टरी को माइलेज के हिसाब से दना पड़ता है। लेकिन अब उस सड़क को ऐसे ढंग से मन्जूर कर दिया गया है जिससे सड़क की माइलेज़ हर गांव के लिये बढ़ेगी और फैक्टरी पर किराया अधिक पड़ेगा। अगर थोड़ा–बहुत खर्च में फर्क पड़ता है तो जो पहले से मन्जूर थी उसको ही बनाना चाहिये। लेकिन थोड़ा–बहुत ुर्क भी हो तो भी ठीक है। हमारी कोआपरेटिव शुगर मिल है, जिसमें अभी तक हरियाणा सरकार का भ्झी हिस्सा है, लोगो का भी हिस्सा है। उसके लिये हमें इस ढंग से माइलेज बनानी चाहिये जिससे भविष्य में मिल को कम से कम खर्चा उठाना पड़े। ऐसे रास्ते की सड़क हमको बनानी चाहिये।

इसके अलावा जैस कि मैंने अभी कहा था कि दो लाख रूपया मन्जूर करा दिया गया था लेकिन उसके बारे में अभी तक न कोई सड़क की मन्जूरी दी गयी है और और न ही कोई काम चालू किया गया। परन्तु केई जगहों पर बगैर मन्जूरी के ही सड़के चालू हो जाी है। ठीक हिसाब से कोई नियम मान कर ही फैज़ड प्रोगाम होना चाहिए ताकि पब्लिक को फायदा हो।

क्रेश प्रोग्राम का बड़ा प्रचार है लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि उस पर कितना अमल किया गया अगर सरकार अपने हिस्से का सारा रूपया मार्किटिंग फैडरेशनों को और पंचायत समितियों को सड़क बनाने के लिये दे दें और वे सड़के बना दें तो इस से कम खर्च पर सड़क बनती है। यह जरूर है कि उनकी सड़के इतनी मज़बूत हनी होती जितनी पी॰डब्लयू॰डी॰ द्वारा बनायी हुई होती है। लेकिन उन सड़कों पर इतना ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं होता। इसलिये ज़िला परिषदों और ब्लाक समितियों को सड़के बनाने देनी चाहिये और सरकार सहायता दे और अगर क्रैश प्रोग्राम के माने यही है कि सरकार अपने पास से कोई पैसा न दे औरों के पैसे लेकर स्वयं काम महंगा करे तो कोई बड़ाई की बात नहीं। जब मेरे पास यह मत्रालय था, इकट्ठे पंजाब में, तो एक करोड़ रूपया इकट्ठा किया गया और चार करोड़ रूपये की स्कीमें मंजूर की गयीं। अब पंजाब में जिस समय गिल साहब की मिनिस्टरी आयी तो उन्होंने उस स्कीम पर बहुत कार्यवाही की। लेकिन मुझे अफसोस है कि हरयिाणा सरकार ने जो योजना मंजूर की थी, जिन सड़को के लिये पैसा लोगो ने अपने हिस्से का दि दिया था, उन सड़को पर भी काम शुरू नहीं किया गया। जो काम बाकी रह गया था उसकों चालू नहीं किया गया। लेकिन जहां पर लोगों ने अपना हिस्सा भी नहीं जमा कराया था वहां पर काम चालू हो गया है। अगर कहत के इलाके बात की जाए तब तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन यह जो मंग है इसके अन्दर अम्बाला जिला और रोहतक ज़िला कैसे रह गया ? अपाध्यक्ष

महोदया इसी तरह से डिमांड नं॰ 27 सिचाई की डिमांड है इसके अन्दर कई माईनरो का जिक्र आता है उपाध्यक्ष महोदया, मैं यहां एक बात बतलाना चाहता हूं कि मैंने एक पत्रा सिचाई विभाग के मंत्री महोदय को, औार एक पत्र वित्त मंत्री महोदया को लिखा था मेरे हल्के में काहनौर डिस्ट्रीब्यूटरी के लिये लेागो ने अपना पैसा जमा करा दिया था लेकिन उसके ऊपर काम चालू नहीं हुआ। यह हवाला मैंने दोनेा पत्रों में दिया और दानों मन्त्रियों ने आश्वासन लिाया लेकिन फिर भी पता नहीं कि वह आश्वासन कहां चले गयो और किस हवा में रह गयो ? वह कागज़ के ऊपर नहीं उतर। अब यह एक कंटिन्जैंसी फंड बढ़ाने चले हैं। यह ठीक है कि नहीं लेकिन जहां पर काम गलती से रह जाता है या खर्चे का अन्दाजा कम दिखाया जाता है पहले उसको ठीक करना चाहिये और योजना को ठीक तरह से कार्य रूप में परिणित करना चाहिये।

मेजर अमीर सिंह चौधरी ने ब्यास प्राजैक्ट के बारे में कहा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इसके दो हिस्से हैं एक नाम है यूनिट नं॰ 1 और दूसरी का नाम है यूनिट नम्बर 2 । 16 मील पहाड़ के अन्दर से एक चैनल गुज़रेगी। उसमें ब्यास नदी से सतलुज के अन्दर पानी डाला जाएगा। इस पर जो खर्च होगा उस खर्च के लिये हमें तैयार रहना चाहिये। लेकिन इसमें डरने की कोई बात नहीं है क्योंकि उस में नकदी कुछ लेनी देनी नहीं है हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार का फैसला है कि वे 100 फीसदी कर्जा बहुमुखी योजना के लिये देंगे लेकिन खर्च उस प्रदेश

सरकार के नाम लिख दिया जाएगा और पैसा हिन्दुस्तान की केन्द्रीय सरकार ही देती है। वह तो सिर्फ कर्ज़ का लेखा भर ही होता है। जो यूनिट नम्बर दो है उससे राजस्थान को भी पानी मिलेगा और आज भी जो पानी राजस्थान को दिया जाता है यह भी ब्यास नदी से ही दिया जाता है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि पानी के ऊपर जितना खर्चा आए वह सारे का सारा खर्चा पंजाब और राजस्थान सरकारों को कबूल कर लेना चाहिये। और यूनिट नंबर एक के हिस्से का खर्च जो कुछ भी आता है, उसकी सारी जिम्मेदारी उठाने के लिये हरियाणा सरकार को त्यार रहना चाहिये। इसी तरह बिजली का जहां तक जाल्लुक है ब्यास प्राजैक्ट की स्कीम में राजस्थान, पंजाब और हरियाणा का एक मिल जुला समझौता है, जिसमें से 14ण्7 के करीब परसेंटेज राजस्थान के हिस्से में खर्चे की आती है, और इसी हिसाब से 84ण्78 परसेंटेज हरियाणा के हिस्से आती है उसके लिये इस सरकार को तैयार रहना चाहिये .. (घंटी) .. भाखड़े के बारे में भी मुझे यही निवेदन करना है कि जो खर्चा इस सरकार के जिम्मे है उसकी ज़िम्मेदारी लेनी चाहिये। मैंने मुख्य मंत्री को इन बातो ंसे सम्बन्धित एक पत्र भेज था मगर उसका जवाब नहीं मलिा। पंडित नेहरू के बारे में मुझे पता है कि वह बहुत व्यस्त और बहुत बड़े इंसान थे, लेकिन पत्र का जवाब तीसरे दिन आ जाता था। आपको भी जवाब देना चाहिये।

महन्त गंगा सागर (झज्जर) : डिप्टी स्पीकर साहिबा, डिमांड नंबर 3 में जो डी॰एस॰पी॰ ट्रैफिक को कार देने का ज़िक्र आया है यह मैं समझता हूं कि सरकार के ज़रिये रूपये का मिसचूज है। जब गाड़ी है और काम दे रही है तो फिर नई कार की क्या ज़रूरत है इसी तरह से डिमांड नंबर 14 के अन्दर डियूल्ड कास्ट ाऐरा क्म्यूनिटि सैंटर के लिये जो 55 हजार रूपये की राम मांगी गई है, उसके बारे में भी मैं अर्ज़ करना चाहता हूं कि इन रकमों को सरकार क्यें पोलिटिकल परपज़ के लिये इस्तेमाल करती है और जिन लोगो को असली रूप में ज़रूरत होती है उन को पैसा नहीं दिया जाता इसलिये गवर्नमंट को एश्योरेंस देनी चाहिये कि इस रूपये का सही इस्तेमाल होगा।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, अब मैं डिमांड नं॰ 18, जिस में 15 लाख रूपया रखा गया है और ज्यादातर भिवानी तहसील के लिये वाटर सप्लाई पर खर्च करना है, पर बोलना चाहता हूं। यह बहुत अच्छी बात है कि जहां पानी न हो लोगो के लिये वहां पीने का पानी का इन्तज़ाम करना चाहिए। हमारी बहिने दो–दो मील से कड़कती धूप में सिर पर पानी डठा कर लाती है मैं अर्ज़ करना चाहूंगा कि भिवानी तहसील ही सारे हरियाणा में ऐसी तहसील नहीं है जाहां पीने का पानी की कमी हो इसके इलावा भी बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर पीने के ानी की दिक्कत है और शायद भिवानी से भी ज्यादा दिक्कत कई और स्थानों पर हो। हमारी तहसील झज्जर निहायत बैकवर्ड है। आप ने तो तारीखें पढ़ी है

डिप्टी स्पीकर साहिबा, स्पीकर साहिब भी अपने चैम्बर में बैठे सुन रहे होंगे, इसलिये आप को पता होगा कि सन् 1857 में जिस वक्त अंग्रेज के खिलाफ गद्दर हुआ तो नवाब झज्जर ने सब से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और बदकिस्मती से वह गद्दर दब गया और अंग्रेज सौ साल तक यहां राज करते रहे। तो डनहोंने सज़ के तौर पर यह कहा कि न हवां कोई रेलवे लाईन बनेगी न कोई सड़क बनेगी। तो उस अंग्रेज की सताई हुई यह झज्जर तहसील है और फिर बदकिस्मती से वहां से मैम्बर भी अपोज़ीशन के ही इलैक्ट हो कर आते रहे हैं। अब इस तहसील से चार मैम्बर है जिन मे से एक ब्रिगेडियर साहब भी हैं। मैं चाहूंगा कि इन की सदारत में अगर एक कमेंटी बना दी जाये और अगर वहां के हालात को देखेंगी तो लाजमी तौर पर साबत हो जायेगा कि झज्जर भिवानी से किसी भी हालत में कम बैकवर्ड साबत नही होगी। लेकिन चूकि भिवानी के चीफ मिनिस्टर साहब है इसलिये हमारे बैकवर्ड इलाके के हकूक को काट कर भिवानी में लगाया जा रहा है। झज्जर तहसील के कम से कम ऐस दा ढाई सौ गांव हैं जहा कि चार पाचं मील से पीने का पानी लाना पड़ता है। हमं अफसोस से कहना पड़ता है कि यह और कुछ नहीं तो बे इन्साफी ज़रूर है कि 15 लाख रूपये की रकम मे से ये दो चार लाख रूप्या भी वहां पर लोगो को पीने का पानी मुहैया करने के लिये नहीं खर्च कर सके। मै डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नमेंट की तरफ से अश्योरेंस चाहता हूं कि झज्जर की तहसी के लोागे के लिये

पानी का प्रबन्ध करने के लिये रूपय खर्च करेंगे। बस में इतना कह कर आप का शुक्रिया अदा करता हूं।

वित मन्त्री (श्रीमती ओमप्रभा जैन) : माननीय डिपटी स्पीकर साहिबा, यह सप्लीमेंट्री एस्टीमेट्स जिन के ऊपर आज बहस हो रही है एक करोड़ 63 लाख रूपये के है। इनके साथ जो इन्ट्रोडक्ट्री रिमार्कस लगाए हुए है, उन को पढने से पता लगेगा कि हमार सरकार पर जो इस वक्त बोझा पड़ रहा है, वह लगभग एक करोड़ नौ लाख रूपये का है बाकी कुछ पैा तो ट्रांसपोर्ट में 21 लाख 23 हजार के करीब 1966–67 में खर्च किया जा चुका था उस को पिलेस करना था। इसी प्रकार 25 लाख रूपया हम कंटिनलैंसी फंड को बढ़ाने के लिये और मांग रहे हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जिस तेज़ी से प्रदेश में तरक्की के काम हो रहे हैं और लोगो में जज़बा पैदा हुआ है उस से ज़रूरी हो गया था कि हम लोागों की खाहिशात को ध्यान में रखते हुए खर्च करे। कई बार ऐसे खर्चे भी हमारी निगाह में आए जिन को हम बावजूद कोशिश करने के भी बजट बनाते वक्त ध्यान में नहीं रख सकते थे। इसलिये कंटिनजैंसे फंड को बढ़ाना वाजिब समझा गया। इससे हमारे कैश–बैलंस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसके अलावा 15 लाख रूपया वाटर सप्लाई स्कीमों पर ज़रूरी खर्च करना चाहते है। इसमें से आधा रूपया गवर्नमैंट आफ ंडिया से ग्रांट–इन–एड की शक्ल में मिल जायेगा। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक करोड़ नो लाख का बोझा सरकार पर पड़ रहा है। मुझे यह बात कहते हुए

खुशी होती है कि जो रूपया सरकार खर्च करना चाहित है उसमें किसी प्रकार की वेस्टेज नहीं निकाली जा सकती इसमें से 43 लाख रूपया फमिन स्ट्रक इलाकों पर खर्च किया जायेगा, 15लाख रूपया वाटर सप्लाई के लिये था, साढ़े सात लाख रूपया ओल्ड ऐज पैन्शन के लिये है और 31 लाख रूपया ऐसा है जिसकी कि हमें पेमैंट करनी पड़ी है। डिपटी स्पीकर साहिबा, आप देखेंगे कि अधिकतर खर्चा 97 लाख रूपया कंस्ट्रक्टिव कामो पर और जनता की भलाई के लिये खर्च किया जा रहा है। मेजर साहिब ने कहा था कि सरकार को बजट बनाते वक्त इन सब चीज़ो को ध्यान में रखना चाहिये और सप्लीमै।ट्री के ज़रिए कम से कम मांग करनी चाहिये। मैं उन से कहना चाहूगी कि चाहे जितना अच्छा बजट हा फिर भी हैल्दी डैमोक्रेसी में उस चीज़ को रोका नहीं जा सकता कि किस वक्त खर्चा पड़ जाए। मैं अपनी सरकार की हम्मत समझती हूं कि बावजूद इस बात के हमारे रिसोर्सिज़ इतने सीमित हैं और हमारे स्टेट के अन्दर कहत भी पड़ा, और बाढ़ भी आई है, हम ने लोगों को खुशहाल बनाया है और डिवैलपमैंट के काम किया है। मैं हाऊस को बताना चाहती हूं कि इस वर्ष 1968–69 में जब अकाल पड़ तो हमने इस बात ाक `हमसूस किया और हमने पिछले पांच–छः महीनों में एक करोड़ से ज्यादा रूपया फैमिन रिलीफ के लिये खर्च किया और इस साल जो काम करने का तरीका था वह भी अलहदा था। पिछले सालों की तरह हम ने उनको डोल्ज़ नहीं बांटे। करनाल के ज़िले में बड़ी भारी बाढ आई मगर हम ने लोगों को इस बात को मोहताज नहीं बनाया कि वह

सरकार से चन्द च्पये लेकर खाएं। इस की बजाए हम ने ऐसा प्रबन्ध किया कि लोगों को रोजगार मिल सके। इस बार भी ऐसा ही किया जा रहा है। हम ने खुद भी उन इलाको ंका दौरा किया। यह मैं नही कहती कि हम लोगों की सारी तकलीफें दूर कर पाए हैं लेकिन मुझे यह देख कर खुशी हुई कि फैमिन रिलीफ का खासा अच्छा काम हुआ है। हमारी समस्याएं बहुत बड़ी थी लेकिन साधन लिमिटिड थे। लेकिन हम ने लोगों को राज़गार दिया और मार्च, 1969 तक दस हज़ार से अधिक आदमी सरकार से लोकल रिलीफ वर्कस के तहत पैसे लेते थे। 30 अप्रैल, 1969 को साढ़े चार हज़ार आदमियों को एम्पलाएमंट में लगाया। 31 मई तक 14 हज़ार आदमी काम पर लगे थे और 30 जून को 16 हजार से अधिक आदमी इन कामों पर लगे हुए थे। इसके अलावा लाखों रूपये की सड़के मंजूर की गई है और 18/20 हजार लोगों को काम मिला है। आप अंदाजा लगा सकते है कि हम ने अपने रिलीफ वर्क्स के लिये कितना रूपया दिया है और इन कामों को नया मोड़ दिया ताकि कंस्ट्रक्टिव काम हो। आज सड़के बनीं, कहीं एप्रोच रोड्ज़ बन गई, स्कूलों की बिल्डिग्ज़ बन गई और काम भी हुआ और लोगो को काम भी मिला और रोज़गार पर लगे। आडर सबसिडाइज्ड रेट पर दिया गया और जहां से भी मांग आई उसे पूरा करने की कोशिश की गई। मैं बताना चाहती हूं कि जितने रिलीफ वकर्स शुरू किये हुए है उनको बीच में नहीं डोड़ेगे। हम चाहते है कि जिन इलाकों में ये काम शुरू किये हए है वे पूरे हो सकें और वे अधूरे न रहें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहां पर कुछ डिक्रीटल अमाउंटस का ज़िक्र किया गया कि यह नहीं होना चाहिये था। आप जानते हैं कि इस चीज़ की कितनी भी कोशिश की जाए यह रोकी नहीं जा सकती। इतने मुलाजिम काम करते है और लोग मुकदमें भी करते है रिट्स भी करते हैं, यहीं सरकार जीत जाती है और कीहं मुलाज़िम जीत जाते है। कोशिश की जाती है कि केस ठीक ढंग से डिफैंड किया जाए लेकिन यह कोर्ट्स की बात है कुछ मैम्बर साहिबान ने कहा कि रीआर्गेनाइज़ेशन से पहले के जो केस हैं वे पंजाब के हैं इसलिये उस वक्त की पेमेंट पंजाब सरकार को करनी चाहिये। लेकिन मैं आपकों बताना चाहती हूं कि इस बारे में डिसीजन यह है कि जो एम्पलाई सि स्टेट को अलाट हुआ हुआ है इसके अगर कोई पास्ट एरियर्ज रहते है तो उनका भुतान वही स्टेट करेगी जिसको यह अलाट किया गया है।

इसके अलावा यहां पर इंजीनियरों की तन्खाहो के बारे में भी कहा गया है कि पंजाब से कम है। मैं बताना चाहती हूं कि हम ने पहली फरवरी, 1969 से सारे ग्रेड रिवाइज कर दिये है। जहां ऐस.उी.ओज. और ऐक्स.इ.ऐनज. का ताल्लुक है उनके ग्रेड उनके ग्रेड उनके बराबर है और सारी सरविसिज़ को अगर ध्यान में रखा लाये तो हमारे ग्रेड पंजाब के मुकाबले में बेहतर है। पिछले दिनों यह बात ज़रूर थी कि जो ग्रेड हम ने नोटीफाई किया थे उनमें कुछ फर्क था लेकिन फाइनली जो नोटीफाई हुए उस में बराबर ग्रेड दिया है और किसी प्रकार का फर्क नहीं है।

फिर डिप्टी स्पीकर साहिबा, इमेर्टिड गाड़ियों के बारे में भी कुछ कहा गया है। इसके बारे में गवर्नमेंट आफ ंडिया ने रिकमैंडेशन भेजी थी कि ऐस.उी.सी से गाड़ियां खरीद सकते हैं और वह कमर्शियल पर्पज़ के लिये है और उन से स्टेट को आमदनी ही होने वाली है। फिर गवर्नमेंट का इरादा है कि मोरनी हिल्ज़ को डिवैलप किया जाए क्योंकि हरियाणा में कोई हिल स्टेशन हनी है। ॅरिस्ट को अधिक उन्साह देने के लिये और उन्साह पैदा करने के लिये चाहिये कि कोई हिल स्टेशन बनाया जाये लेकिन इसके लिये पैसा भी चाहिए। अभी हम इस के बारे में इन्वैस्टीगेशन ही कर रहे है कि हार्टीकल्चर के जरिये क्या हो सकता है। बिजली, सड़कों बगैरा की योजनायें बना रहे हैं। यह बड़ा बोल्ड स्टैप है आर यह स्टेशन अच्छा टूरिस्ट सैंटर बनाया जा सकता है जिससे स्टेट को आमदनी होगी और नाम होगा। इन शब्दो के साथ मैं प्रार्थना करती हूं कि इन डिमाड्ज़ को पास किया जाए। (थम्पिग)

Deputy Speaker : Now I will put the demands one by one, to the vote of the House.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 22,000 be granted to the Governor to defray the charges that will

come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 11-Taxes on Vehicles.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 55,060 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 26-Miscellaneous Departments.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 15,19,330 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 30-Public Health.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 2,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 31-Agriculture.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 66,360 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 39-Miscellaneous, Social Developmental Organisations.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 3,57,,400 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 43 and 44-Irrigation, Navigation, Embankment and Drainage Works (Commercial and Non-Commercial).

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 50-Public Works.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,80,780 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending

31st March, 1970, in respect of 57-Road and Water Transport Schemes.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 43,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 64-Famine Relief.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,50,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 65-Pension and other Retirement Benefits.

The motions were carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 1,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 70-Forest.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 7,05,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 71-Miscellaneous.

The motions were carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 31,12,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 98-Capital Outlay on Multipurpose River Schemes.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 10 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 103-Capital Outlay on Public Works.

The motion was carried.

Deputy Speaker Question is -

That a supplementary sum not exceeding Rs. 64,010 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of Loans and Advances by the State Government.

That a supplementary sum not exceeding Rs. 25,00,000 be granted to the Governor to defray the charges that will come in the courses of payment for the year ending 31st March, 1970, in respect of 125-Appropriation to the Contingency Fund.

The motions were carried.

Deputy Speaker : The House stands adjourned till 9.30 A.M. tomorrow (Thursday) the 14th August, 1969.

6.15 P.M.

(The Sabha then adjourned till 9.30 a.m. on Thursday, the 14th August, 1969)